Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

© The Institute of Chartered Accountants of India

iij– 4: djk/kku

Hkkx– I: o/kkfud viMV

1 eb 2016 rFkk 30 अप्रैल 2017 d e/; tkjh vk;dj vkj viR;{k djk e egRoi.k vf/klpuk rFkk ifji=

A. vk;dj

30 अप्रैल, 2017 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र सहित वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा सं ोधित आयकर कानून नवम्बर 2017 परीक्षा के लिए लागू है। नवम्बर 2017 परीक्षा के लिए प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष 2017–18 है। पेपर 4 कराधान भाग I आयकर के लिए अध्ययन सामग्री का सितम्बर, 2016 संस्करण वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा सं ोधित आयकर का प्रावधान तथा 30 अप्रैल 2016 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र पर आधारित। 1 मई 2016 तथा 30 अप्रैल, 2017 के मध्य जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना तथा परिपत्र जो नवम्बर 2017 के लिए भी प्रासंगिक है को नीचे दिया है।

1. vk; tk fu;e **8D** d vUrxr dy vk; dk Hkkx ugh curh d lc/k e 0;; dh jkf'k fu/kkj.k dju dk rjhdk [vf/klpuk l[;k 43@2016 fnukd **2.06.2016]**

धारा14A(1)के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय IV के अन्तर्गत कुल आय की गणना के उद्दे य के लिए आय जो आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुल आय का भाग नहीं बनता के संबंध में किये गये व्यय के संबंध में किसी कटौती की आज्ञा नहीं है।

धारा14A(2) प्रदान करता है कि करनिर्धारण अधिकारी निर्धारित तरीके के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आय जो कुल आय का भाग नहीं बनता, के संबंध में उत्पन्न व्यय की रा ि का निर्धारण करेगा यदि करनिर्धारण अधिकारी इस प्रकार व्यय के संबंध में करनिर्धारी की दावा की सही होने से संतुष्ट नहीं है।

नियम8D कुछ आय में सम्मिलित नहीं आय के संबंध में व्यय की रा ि के निर्धारण के तरीके को निर्धारित करता है। क्योंकि उसमें निर्धारित फार्मूले के उपयोग पर काफी विवाद रहा है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (संघ बजट 2016–17) के पैरा 167 में विमुक्त आय वाली निवे ा का औसत मासिक मूल्य का 1% की अस्वीकृति, परन्तु दावा वास्तविक व्यय से अधिक नहीं तक सीमित करने के लिए नियम 8D को सं ोधित करने का प्रस्ताव किया।

तदानुसार, इस अधिसूचना के जरिये, केंद्रीय सरकार ने उप–नियम (2) का स्थानापन्न किया तथा उक्त नियम 8D की उप–नियम (3) को हटा दिया। नया उप–नियम (2) प्रदान करता है कि आय जो कुल आय का भाग नहीं बनता के संबंध में व्यय निम्न रा ि का योग होगाः

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) आय से सीधे रूप से संबंधित व्यय की रा ि जो कुल आय का भाग नहीं बनता, तथा

(ii) निवे ा, जिसकी आय कुल आय का भाग नहीं बनता अथवा नहीं बनेगी,के मूल्य का आरंभिक तथा अंतिम भोश मासिक औसतोंके वार्षिक औसत का 1%के बराकर एक रा ि:

यद्यपि, वाक्य (i) तथा वाक्य (ii) में संदर्भित रा ि करनिर्धारी द्वारा दावा कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

2. cSd bR;kfn dk fd;s x;s fufn"V Hkqxrku ij lkSr ij dVkSrh **(TDS)** ls foeqfDr **[vf/klwpuk la[;k 47@2016 fnukad 17-06-2016]**

धारा197A(1F) प्रदान करता है कि इस प्रकार की संस्थान, संस्था अथवा संस्थान अथवा संस्था की श्रेणी जैसे केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है को निर्दिश्ट भुगतान से कोई कर कटौती नहीं की जायेगी।

तदानुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है कि निर्दिश्ट भुगतान पर आयकर, 1961 के अध्याय XVII के अन्तर्गत कोई कर कटौती नहीं की जायेगी, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा विदे ी बैंक को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति को अथवा भुगतान तथा निपटारा सिस्टम अधिनियम, 2007 की धारा 4(2) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत भुगतान सिस्टम कम्पनी को भुगतान किया। निर्दिश्ट भुगतान है:

(i) बैंक गारंटी कमी ान;

(ii) नकद प्रावधान सेवा प्रभार;

(iii) डीमेट खाते के अनुरक्षण पर डिपोजटरी प्रपत्र;

(iv) वस्तुओं की वेयरहाउसिंग सेवा के लिए प्रभार;

(v) अभिगोपन सेवा प्रभार;

(vi) भुगतान तथा निपटारा सिस्टम अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत निपटारा अथवा समा ोधन गतिविधियों के समय वसूल इंटरचेंज भुल्क अथवा कोई अन्य प्रभार जिसे कोई भी नाम देवें सहित समा ोधन प्रभार (MICR प्रभार);

(vii) मर्चेंट स्थापना तथा अधिगृहण बैंक के मध्य सौदों के लिए क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड।

3. /kkjk **206AA** ds vUrxZr mPp nj ij dj dh dVkSrh esa NwV **[vf/klwpuk la[;k 53@2016 fnukad 24-06-2016]**

धारा206AAके अन्तर्गत, कोई व्यक्ति जो किसी रा ि अथवा आय को प्राप्त करने के लिए हकदार है जिस पर अध्याय XVIIB के अन्तर्गत कर कटौतीयोग्य है इस प्रकार की कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) देगा जिसके ना देने पर, कर की कटौती होगी।

(1) अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधान में वर्णित दर; अथवा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) प्रभाव में दर; अथवा

(3) 20%की दर

जो भी अधिक है

धारा 206AAका प्रावधान अनिवासी पर भी लागू होगा जिसके कारण उसे PAN को प्राप्त और प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, कर कटौती की उच्च दर लागू होगी चाहे यदि इस प्रकार की आय पर कर अधिनियम का वि ोष प्रावधान का लागू होने के कारण अथवा प्रासंगिक दोहरा कराधान बचाव समझौता के कारण कम दर पर भुगतानयोग्य है।

धारा 206AA का प्रावधान का लागू ना होने का लाभ अब तक गैर–निगमित अनिवासी अथवा विदे ी कम्पनियों को धारा 194LC में संदर्भित एक भारतीय कम्पनी अथवा व्यापार न्यास द्वारा दीर्घकालीन बांड पर ब्याज के भुगतान के संबंध में था।

अनुपालना के बोझको कम करने के उद्दे य से धारा 206AA की उपधारा (7) का 1 जून 2016 के प्रभाव से स्थानापन्न किया है जो इस प्रकार की भार्त जैसी निर्धारित है के तहत धारा 194LC में संदर्भित दीर्घकालीन बांड पर ब्याज के अतिरिक्त किसी अन्य भुगतान के संबंध में एक गैर–निगमित अनिवासी अथवा विदे ी कम्पनी को धारा 206AA में समाहित आव यकता को गैर लागू होने का प्रावधान करती है।

तदानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस अधिसूचना के जरिये नियम 37BC को डाला जो प्रावधान करता है कि धारा 206AA के प्रावधान कर कटौतीकर्ता को निम्न विवरण तथा परिपत्र के जमा करने पर ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकि सेवा के लिए भुल्क तथा पूँजीगत सम्पत्ति के अंतरण पर भुगतान की प्रकृति के भुगतान के संबंध में PAN ना रखने वाली गैर–निगमित अनिवासी अथवा विदे ी कम्पनी पर लागू नहीं होगाः

- नाम, ईमेल, सम्पर्क संख्या (Contact Number)
- दे ा अथवा भारत से बाहर निर्दिश्ट क्षेत्र जिसका कर कटौती करवाने वाले निवासी है में पता।
- किसी दे ा अथवा उस दे ा की सरकार से भारत से बाहर निर्दिश्ट क्षेत्र अथवा निर्दिश्ट क्षेत्र में उसके निवास का प्रमाणपत्र यदि उस दे ा अथवा निर्दिश्ट क्षेत्र का कानून इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रदान करता है।
- कर कटौती करवाने वाले का, उसके निवास का दे ा अथवा निर्दिश्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या तथा जहां पर इस प्रकार की संख्या उपलब्ध नहीं है, तब अनुपम संख्या जिस आधार पर कर कटौती करवाने वाले की उस दे ा अथवा निर्दिश्ट क्षेत्र जिसका वह निवासी होने का दावा करता है की सरकार द्वारा पहचान की जाती है।

4. /kkjk **32(1)(ii)(a)** d vUrxr mPp vfrfjDr gkl rFkk /kkjk **32AD** d vUrxr fuo'k NV d fy, ik=rk d mí'; d fy, vf/klfpr ryxkuk] if'pe cxky] fcgkj rFkk vk/kk in'k jkT;k d fiNM {k= [vf/klpuk l[;k 61@2016 fnukd 20-07-2016 rFkk vf/klpuk l[;k 85@2016 fnukd 28-09-2016]

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 32 के अन्तर्गत व्यापार तथा पे ो के उद्दे य के लिए प्रयुक्त सम्पत्ति पर ह्रास की व्यापार अथवा पे ो का लाभ तथा अर्जन की गणना करते हुए कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

धारा 32(1)(iia) भाक्ति का सृजन अथवा सृजन तथा वितरण के व्यवसाय में अथवा किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन के व्यापार में लिप्त एक करनिर्धारी द्वारा अधिग्रहण तथा स्थापित नयी म ीनरी अथवा प्लांट (जहाज तथा वायुयान के अतिरिक्त) पर 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास काप्रावधान करता है।

आंध्र प्रदे ा, तेलगाना, प िचम बंगाल तथा बिहार राज्यों की पिछले क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्त अधिनियम, 2015 ने धारा 32(1)(iia) में उपबंध को डाला है जो एक करनिर्धारी को 35% की दर से अतिरिक्त ह्रास की बढ़ी दर को प्रदान करता है जो इस प्रकार के राज्य में इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1.4.2015 को अथवा उसके प चात् किसी वस्तु का उत्पादन अथवा निर्माण के लिए उपक्रम अथवा उद्यम को स्थापित करता है तथा उक्त पिछड़े क्षेत्र में 1.4.2015 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान उक्त उपक्रम अथवा उद्यम के उद्दे य के लिए किसी नयी म ीनरी अथवा प्लांट (जहाज तथा वायुयान को छोड़कर) को अधिगृहित तथा स्थापित करता है।

आगे, वित्त अधिनियम, 2015 में धारा 32AD को डाला जो एक करनिर्धारी द्वारा अधिगृहित तथा स्थापित नये प्लांट तथा म ीनरी की लागत का 15% की दर से अतिरिक्त निवे ा छूट के स्वरूप में प्रोत्साहन को प्रदान करता है जो इस प्रकार के राज्य में इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पिछड़े क्षेत्र में 1.4.2015 को अथवा उसके प चात् किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन के लिए उपक्रम अथवा उद्यम को स्थापित करता है तथा उक्त पिछड़े क्षेत्र में 1.4.2015 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान उक्त उपक्रम अथवा उद्यम के उद्दे य के लिए किसी नयी सम्पत्ति को अधिगृहित तथा स्थापित करता है।

धारा 32AD के अन्तर्गत निवे ा छूट तथा धारा 32(1)(iia) के अन्तर्गत उच्चतर अतिरिक्त ह्रास का दावा का उद्दे य के लिए, केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के जरिये तेलंगाना, प िचम बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदे ा का निम्न जिलों को अधिसूचित किया:

Ø- l[;k	rsyaxkuk	lkf'pe cxky	fcgkj	vka/kz izns'k
1.	आदिलाबाद	दक्षिण 24 परगना	अरवल	अनंतपुर
2.	निजामाबाद	बांकुरा	बांका	चितौड़
3.	करीमनगर	बीरभुम	बेगूसराय	कुडप्पा
4.	बरांगल	दक्षिण दीनाजपुर	भागलपुर	कर्नूल
5.	मेडक	उत्तर दीनाजपुर	बक्सर	श्रीकाकुलम
6.	महबूबनगर	जलपायगुडी	गोपीगंज	विशाखापटनम

© The Institute of Chartered Accountants of India

Ø- l[;k	rsyaxkuk	Ikf'pe cxky	fcgkj	vk/kk izns'k
7.	रंगारेड़ी	मालदा	खगडिया	बिजयनगरम
8.	नलगोडा	पूर्व मेदीनीपुर	किशनगंज	
9.	खम्मम	पचिम मेदीनीपुर	मादेपुरा	
10.		मुर्शिदाबाद	मुंगेर	
11.		पुरलिया	पश्चिमचम्पारण	
12.			पूर्व चम्पारण	
13.			सहारसा	
14.			सारण	
15.			शेखपुरा	
16.			सीतामढ़ी	
17.			सीवान	

mijkDr &*उपरोक्त सूची इसलिए दी गई है ताकि छात्रों को अवगत हो सके कि धारा 32AD के अन्तर्गत कटौती तथा धारा 32(1)(iia) के अन्तर्गत उच्च अतिरिक्त ह्रास को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए चार राज्यों में प्रत्येक में पिछड़े क्षेत्र में अधिसूचित किया। छात्रों से प्रत्येक राज्य में पिछड़ा क्षेत्र के नाम का स्मरण करने अथवा रट्टा लगाने की अपेक्षा नहीं है।*

5. dEiuh lfpo ykxr ys[kkdd rFkk dj fooj.kh rS;kjdrk dk lfEefyr djus ds fy, bZ&fooj.kh e/;orhZ ds fy, ;kstuk ds Ldhe dk c<k;k [vf/klwpuk l[;k 66@2016 fnukad 9-08-2016]

धारा 139(1B) आय की विवरणी को जमा करने के लिए वैकल्पिक तरीका है। अधिसूचना संख्या 210/2007 दिनांक 27.7.2007 के जरिये उक्त उद्दे य के लिए आय की विवरणी की इलैक्ट्रोनिक जमा करने की योजना 2007 को अधिसूचित किया। योजना प्रदान करती है कि एक पात्र व्यक्ति अपने विकल्प पर अपनी आय की विवरणी जिसे उसे अधिनियम की विभिन्न प्रावधान के अन्तर्गत जमा करने की आव यकता है इ–विवरणी मध्यवर्ती को जमा कर सकता है जो इस प्रकार की विवरणी के डाटा का अंकीय करेगा तथा देय तिथि को अथवा उससे पूर्व ई–विवरणी प्र ासक के द्वारा इस उद्दे य के लिए निर्दिष्ट एक सर्वर को इसे इलैक्ट्रोनिकली प्रेषित करेगा।

उक्त अधिसूचना का पैरा 5 ई–विवरणी मध्यवर्ती की योग्यता को उल्लिखित रखता है। चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा चाटर्ड एकाउंटेंट की फर्म जिसे स्थायी खाता संख्या (PAN) का आबंटन किया, साथ में चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा एडवोकेट जिन्हें स्थायी खाता संख्या का आबंटन किया ई–विवरणी मध्यवर्ती के लिए अर्हता प्राप्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस अधिनियम के जरिये कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखांकक की फर्म यदि फर्म को PAN आबंटित किया है तथा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखांकक अथवा कर विवरणी तैयारकर्ता जिसे यदि PAN आबंटित किया गया है, भी ई–विवरणी मध्यवर्ती के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।

6. vkjHk e lfpr vk; x.kuk idVhdj.k ekud **(ICDS)** dk [kMu **[**vf/kl puk l[;k **S.O. 3078(E)** fnukd 29-9-2016**]** rFkk djfu/kkj.k o"k 2017&18 l ykx gku oky **ICDS** dh vf/kl puk **[**vf/kl puk l[;k **SO 3079E** fnukd 29-9-2016**]**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 लेखांकन के तरीके को प्रदान करती है। धारा 145(1)'व्यापार अथवा पे ो भीर्ष से लाभ तथा अर्जन' अथवा अन्य स्रोत से आय शीर्षक के अन्तर्गत प्रभारयोग्य आय की गणना धारा 145(2) के प्रावधान के तहत करनिर्धारी द्वारा नियमित रूप से अपनाये नकद अथवा व्यापारिक सिस्टम को करने के लिए कहता है। धारा 145(2) के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार आय की किसी श्रेणी के संबंध में अथवा करनिर्धारी की किसी श्रेणी के संबंध में आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (ICDS) की समय–समय पर राजकीय राजपत्र पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए स ाक्त है।

तदानुसार, केंद्रीय सरकार ने धारा 145(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में अधिसूचना संख्या SO592(E) दिनांक 31.3.2015 को 'व्यापार अथवा पे ो से लाभ तथा अर्जन' अथवा 'अन्य स्रोत से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आयकर से वसूलीयोग्य आय की गणना के उद्दे य के लिए लेखांकन के व्यापारिक सिस्टम का पालन करने वाले सभी करनिर्धारी को इसका पालन करने के लिए आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक को अधिसूचित किया। यह अधिसूचना का निर्धारण वर्ष 2016–17 से लागू होने के लिए 1 अप्रैल 2015 से प्रभाव में आयी।

यद्यपि, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या SO 3078(E) दिनांक 29.9.2016 के जरिये अधिसूचना संख्या SO892(E) दिनांक 31.3.2015 को खंडित कर दिया। साथ में, अधिसूचना संख्या SO 3079(E) दिनांक 29.9.2016 के जरिये केंद्रीय सरकार ने करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से लागू होने वाले 10 नये ICDS को अधिसूचित किया।

नये अधिसूचित ICDS का पालन करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से भीर्ष 'व्यापार अथवा पे ो का लाभ तथा अर्जन' अथवा 'अन्य स्रोत से आय' के अन्तर्गत आयकर से वसूलीयोग्य आय की गणना के उद्दे य के लिए लेखांकन का व्यापारिक सिस्टम का पालन करने वाले सभी करनिर्धारी (व्यक्ति अथवा हिंदु अविभक्त परिवार जिन्हें धारा 44AB के प्रावधान के अनुसार गत वर्ष के खातों का अंकेक्षण नहीं करवाना होता को छोड़कर) करना होगा।

ukV%छात्रों को IPCC पेपर 4 कराधान भाग I– आयकर का प्रैक्टिस मेन्युअल की अक्टूबर, 2016 का अनुग्लक को संदर्भित करने की सलाह की जाती है जो आरंभ में अधिसूचित ICDS (31.3.2015 अब खंडित) की तुलना में 29.9.2016 को अधिसूचित

© The Institute of Chartered Accountants of India

ICDS में महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्पष्ट करता है। अनुग्लक में 29.9.2016 को नयी ICDS को अधिसूचित अध्ययन को समाप्ति करता है।

7. **njlpkj lok d fy, LiDVe d mi;kx d fy, vf/kdkj dk ikIr dju d fy, 0;; [u;k fu;e 6A][vf/klpuk l[;k 89@2016 fnukd 4-10-2016]**

वित्त अधिनियम, 2016 ने नयी धारा 35ABA को डाला जो स्पेक्ट्रम भुल्क के कर उपचार काप्रावधान करती है। धारा 35ABA प्रदान करता है कि जहां पर गत वर्श के दौरान किसी समय व्यापार के आरंभ होने से पूर्व अथवा उसके प चात् दूरसंचार सेवा के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए किसी अधिकार के अधिग्रहण के लिए पूँजीगत व्यय किया गया है तथा स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए वास्तव में भुगतान किया गया है, इस प्रकार का व्यय की रा ि का उपयुक्त हिस्सा (1/प्रासंगिक गत वर्श की कुल संख्या) प्रासंगिक गत वर्शों, जिसके दौरान स्पेक्ट्रम जिसके लिए भुल्क का भुगतान किया है, के प्रभाव में कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

धारा 35ABAके स्पष्टीकरण का वाक्य (iii) के अनुसार वाक्य "वास्तव में भुगतान किया" का अर्थ व्यय का वास्तविक भुगतान है, गत वर्श जिसमें करनिर्धारी द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन के तरीके के अनुसार व्यय के दायित्व उत्पन्न किया है पर विचार किये बिना।

तदानुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस अधिसूचना के जरिये नये नियम 6A को डाला जो 'भुगतान को वास्तव में किया' के अर्थ को सार्थक करता है:

(a) ml ekey e tgk ij LiDVe 'kYd dk viÝV Hkxrku fd;k: जहां पर एक करनिर्धारी को तथा दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम भुल्क का पूर्ण अपफ्रंट भुगतान करने का विकल्प या अनुमति है, करनिर्धारी द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखाकन के तरीके के अनुसार उत्पन्न व्यय के लिए दायित्व वाले गत वर्श पर विचार किये बिना व्यय के वास्तविक भुगतान की आज्ञा है।

(b) ml ekey e tgk ij vLFkfxr 0;; fd;k g:जहां पर एक करनिर्धारी ने चुना है तथा दूर संचार विभाग भारत सरकार ने अस्थगित भुगतान की आज्ञा दी है। रा ि जिसकी करनिर्धारी द्वारा भुगतानयोग्य होती है यदि उसने स्पेक्ट्रम भुल्क का पूर्ण अपफ्रंट भुगतान को चुना गत वर्श जिसमें करनिर्धारी द्वारा नियमित रूप से लेखांकन तरीके के अनुसार व्यय के लिए दायित्व उत्पन्न हुआ था पर विचार किसे बिना।

यद्यपि, उपरोक्त (b) में संदर्भित अस्थगित भुगतान के मामले में जहां पर दूरसंचार विभाग भारत सरकार की योजना के द्वारा निर्दिश्ट किसी भार्त की अनुपालना में करनिर्धारी द्वारा विफलता है तथा दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम का आबंटन को समाप्त करते है, कर निर्धारण अधिकारी धारा 35ABA(3) के अन्तर्गत उसे निहित अधिकार के उपयोग में गत वर्श जिसमें कटौती का दावा किया तथा उसे प्रदान किया के लिए करनिर्धारी की कुल आय की पुनः गणना करता है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) समाप्ति की तिथि तक भुगतान स्पेक्ट्रम भुल्क की कुल रा ि 'वास्तव में किया भुगतान' की रा ि है।

(ii) "प्रासंगिक गत वर्ष" की गणना के उद्दे य के लिए इसकी समाप्ति की तिथि तक स्पेक्ट्रम प्रभावी था।

8. foenhdj.k dh vof/k ¼vFkkr 9-11-2016 l 31-12-2016 rd½ d nkjku fufn"V eY; dk cd@Mkd dk;ky; e udn tek dk lkn d lc/k e **PAN** dk m)j.k vfuok;l g **[vf/klpuk l[;k 104/2016,** fnukd **15-11-2016,** vf/klpuk l[;k **2/2017,** fnukd **6-1-2017** rFkk vf/klpuk l[;k **27/2017,** fnukd **5-4-2017]**

धारा 139A(5)(c) प्रत्येक व्यक्ति को राजस्व के हित में उसके द्वारा प्रविष्ट निर्धारित सोदे से संबंधित सभी में स्थायी खाता संख्या का उद्धरण करना अनिवार्य करता है।

तदानुसार, नियम 114B सौदे का निर्दिष्ट करता है जिसके संबंध में सभी आव क प्रपत्र में PAN का उद्धरण करना अनिवार्य करता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बैंक/डाक कार्यालय के साथ नकद जमा के संबंध में सौदे को सम्मिलित करने के लिए इस अधिसूचना के जरिये नियम 114B को सं ोधित किया है:

lkn dh iÑfr	lkn dk eY;
निम्न के साथ जमा	नकद जमा
(i) एक बैंकिंग कम्पनी अथवा सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 57 में संदर्भित किसी बैंक अथवा बैंकिंग संस्थान सहित)	(i) एक दिन के दौरान ₹ 50,000 से अधिक अथवा
(ii) डाक कार्यालय	(ii) 9 नवम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान योग में ₹ 2,50,000 से अधिक

नियम 114B में चतुर्थ उपबंध को डाला जो प्रदान करता है कि एक व्यक्ति जिसका एक बैंकिंग कम्पनी अथवा सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग नियम अधिनियम, 1949 लागू होती है (उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित किसी बैंक अथवा बैंक संस्थान सहित) के पास बैंक खाता (समय जमा तथा मूल बचत बैंक जमा के अतिरिक्त) तथा इस प्रकार का खाता का खोलने के समय जैसा भी मामला है अपने स्थायी खाता संख्या को उद्धरित नहीं किया अथवा फॉर्म नं. 60 नहीं दिया, उसे 30 जून 2017 को अथवा उससे पूर्व अपने स्थायी खाता संख्या अथवा फॉर्म संख्या 60 को बैंकिंग कम्पनी अथवा सहकारी बैंक के प्रबन्धक अथवा अधिकारी को देगा।

9. cfdx puy@fMftVy rjhdk d tfj;l jkf'kA ikfIr d lc/k e /kkjk **44AD** d

© The Institute of Chartered Accountants of India

vUrxr ekuk ykHk dh fo|eku nj e dVkrh

किसी व्यापार (परिवहन, एजेंसी, दलाली तथा कमी ना के अतिरिक्त) को चलाने वाले कुछ करनिर्धारी (अर्थात् एक व्यक्ति, हिंदु अविभक्त परिवार तथा सीमित दायित्व साझेदारी के अतिरिक्त साझेदारी तथा ₹ 2 करोड़ अथवा कम की टर्नओवर के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AD के विद्यमान प्रावधान के अन्तर्गत लाभ को कुल टर्नओवर का 8ः माना जायेगा।

नकद हीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के सरकार के मि ान को प्राप्त करने तथा डिजिटल साधनों के भुगतान को गति ील रूप से स्वीकृत करने के लिए, करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के प्रभाव में अधिनियम की धारा 44AD के अन्तर्गत 8% का माना लाभ की विद्यमान दर उस गत वर्ष के संबंध में धारा 139(1) में निर्दिष्ट देय से पूर्व अथवा गत वर्ष के दौरान बैंकिंग चैनल/तरीके अर्थात् अकाउंट पेची चैक/बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के जरिये ECS का उपयोग के जरिये प्राप्त कुल टर्नओवर अथवा सकल प्राप्ति की रा ि के संबंध में 6% तक कम कर दिया है।

यद्यपि, धारा 44AD में संदर्भित 8% का माना लाभ की विद्यमान दर नकद में प्राप्त कुल टर्नओवर अथवा प्राप्ति पर लागू रहेगा।

वित्त अधिनियम, 2017 ने करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के प्रभाव में बैंक खाता के जरिये ECS का आयोग अथवा अकाउंट पेयी चैक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त कुल टर्नआवेर/सकल प्राप्ति की रा ि के संबंध में 6% (8% के स्थान पर) की मान्यता दर को प्रदान करने के लिए धारा 44AD(1) को प्रदान किया है।

I. ifji=

1. e.k rFkk e.k rFkk idk'ku e fyIr ,d djfu/kkjh d ekey e /kkjk **32(1)(iia)** d vUrxr vfrfjDr gkl dk inku dju d fy, ik=rk **[**ifji= l[;k 15@2016] fnukd 19-5-2016**]**

एक वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन के व्यापार में लिप्त करनिर्धारी धारा 32(1) के अन्तर्गत सामान्य ह्रास के अतिरिक्त धारा 32(1)(iia) के अन्तर्गत अतिरिक्त ह्रास का दावा करने के लिए पात्र है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस परिपत्र ने स्पष्ट किया है कि वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन माने जाने वाले मुद्रण अथवा मुद्रण तथा प्रका ान का व्यापार धारा 32(1)(iia) के अन्तर्गत अतिरिक्त ह्रास के लिए पात्र है।

2. /kkjk **36(1)(vii)** ftl /kkjk 36½2½ d lkFk i<k tk; d vUrxr v'kk/; _.k dh dVkrh dh vuefr **[**ifji= l[;k 12@2016 fnukd 30-05-2016**]**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि किसी गत वर्ष में कोई ऋण अथवा भाग धारा 36(1)(vii) के अन्तर्गत अनुमेय होगा यदि उस गत वर्ष के लिए करनिर्धारी की लेखा की पुस्तकों में गैर–वसूली के रूप में अपलिखित किया है तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह धारा 36(2) में दी गयी भार्त को पूरा करता है। कानून में कोई ऐसी आव यकता नहीं है कि करनिर्धारी को स्थापित करना है कि वास्तव में ऋण गैर–वसूलयोग्य बन गया।

3. ofj"B@vfrofj"B ukxfjd ftldh tUe frfFk 1 vi y dk vkrk g d ekey e 31 ekp dk 60 o"k@80 o"k dk ikIr dju d lc/k e Li"Vhdj.k **[ifji= l [;k 28@2016 fnukd 27-7-2016]**

एक व्यक्ति जो भारत का निवासी है तथा 60 वर्ष अथवा अधिक (वरिष्ठ नागरिकों तथा 80 वर्ष अथवा अधिक (अति वरिष्ठ नागरिक) की आयु का है क्रम ः 3,00,000 तथा ₹ 5,00,000 की उच्च मूल विमुक्ति सीमा के लिए पात्र है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल को जन्मा व्यक्ति को उसका जन्म दिवस की वर्षगांठ से पहले दिन 31 मार्च को एक वि ेश आयु को प्राप्त किया माना जायेगा। वि ेश में, वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिक पर विचार करने के लिए पात्रता की आयु को प्राप्त करने का प्र न का निर्णय उपरोक्त मानदंड पर किया जायेगा।

इसलिए, एक निवासी व्यक्ति जिसका 60वां जन्म 1 अप्रैल 2017 को आता है को गत वर्ष 2016–17 में 60 वर्ष की आयु को प्राप्त किया माना जायेगा तथा करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए कर दायित्व की गणना में ₹ 3 लाख की उच्च मूल विमुक्ति के लिए पात्र होगा। इसी तरह, एक निवासी व्यक्ति जिसका 80वां जन्म दिवस 1 अप्रैल 2017 को पड़ता है गत वर्ष 2016–17 में 80 वर्षों की आयु को प्राप्त किया तथा करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए करदायित्व की गणना में ₹ 5 लाख की उच्च मूल विमुक्ति सीमा के लिए पात्र होगा।

4. nh?kdkyhu iVVk dk vf/kxg.k d fy, Hkxrku ,de'r ihfe;e ij /kkjk **194-I** dk lkr ij dj dVkrh **(TDS)** iko/kku dh ykx gku ij Li"Vhdj.k**]**

धारा 194-I के अन्तर्गत, किराया के जरिये किसी आय के भुगतान से निर्धारित दर पर स्रोत पर कर कटौती करनी होती है। इस धारा के उद्दे य के लिए, "किराया" को किसी जमीन अथवा भवन अथवा म ीनरी अथवा प्लांट अथवा यंत्र अथवा फर्नीचर अथवा फिटिंग का उपयोग के लिए किसी पट्टा, उप–पट्टा, किराया अथवा किसी अन्य समझौते अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भुगतान कोई भी नाम दे के रूप में परिभाषित किया गया।

मुद्दा कि क्या धारा 194-I के अन्तर्गत जमीन के लिए अथवा कोई अन्य सम्पत्ति के लिए दीर्घकालीन पट्टा अधिकार के अधिग्रहण के लिए एक करनिर्धारी द्वारा भुगतान पर धारा 194-I के अन्तर्गत TDS लागू है अथवा नहीं का CBDT द्वारा परीक्षण किया है।

तदानुसार, ब्ठक्ज् ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि एक मु त पट्टा प्रीमियम अथवा एक समय अपफ्रंट पट्टा प्रभार जो जमीन अथवा किसी अन्य सम्पत्ति के ऊपर दीर्घकालीन पट्टा अधिकार के अधिग्रहण के लिए आवधिक किराया भुगतान अथवा भुगतानयोग्य के विरूद्ध समायोजनयोग्य नहीं है धारा 194-I के अर्थ के अंदर किराया की

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रकृति में भुगतान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का भुगतान धारा 194-I के अन्तर्गत TDS के लिए दायी नहीं है।

5. RFCTLARR ACT, 2013 d vUrxrtehu vf/kxg.k rFkk iuokl e mfpr {kfrifr rFkk ikjnf'kZrk dk vf/kdkj vf/kfu;e d vUrxr vf/kxfgr tehu d fy, tehu Lokeh d }kjk ikIr {kfrifr dh dj;kX;rk ij Li"Vhdj.k **[ifji= l[;k 36@2016 fnukd 25-10-2016]**

आयकर अधिनियम, 1961 के विद्यमान प्रावधान के अन्तर्गत, एक कृषि जमीन को निर्दिश्ट भाहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है को पूँजी सम्पत्ति नहीं माना जाता। अतएव, इस प्रकार की कृषि जमीन के अंतरण (अनिवार्य अधिगृहण सहित) से उत्पन्न पूँजीगत लाभ करयोग्य नहीं है। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 ने 1.4.2005 से धारा 10(37) को डाला जो कुछ भार्तों को पूरा करने के तहत निर्दिश्ट भाहरी सीमा में स्थित एक कृषि जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण से एक व्यक्ति अथवा हिंदु अविभक्त परिवार को उत्पन्न पूँजीगत लाभ को विशिष्ट विमुक्ति प्रदान करता है। इसलिए, एक कृषि जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है। विशिष्ट भाहरी जमीन की कुछ भार्तों का पूरा करने पर।

जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (संक्षेप मेंRFCTLARR) जो 1 जनवरी 2014 से प्रभाव में आया प्रदान करता है कि RFCTLARR अधिनियम के अन्तर्गत किसी निर्णय अथवा समझौते (धारा 46 के अन्तर्गत किये गये) पर आयकर नहीं लगेगा। इसलिए, RFCTLARR अधिनियम के अन्तर्गत जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति (RFCTLARR अधिनियम के अन्तर्गत किये गये को छोड़कर) आयकर के लगाने से विमुक्त है।

RFCTLARR अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से विमुक्ति को प्रदान करने के मामले में कृषि जमीन तथा गैर कृषि जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण,के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति के मध्य कोई अंतर नहीं किया,RFCTLARR अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत प्रदान विमुक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की विद्यमान प्रावधान के अन्तर्गत प्रदान कर विमुक्ति से वृहत्त स्कोप है। इसने जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण विशेष रूप से गैर कृषि जमीन के अधिगृहण से संबंधित है पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की करयोग्यता के मामले में अनिश्चितता सृजित की है।

CBDT द्वारा मान्यता परीक्षण किया तथा गृह स्पश्ट किया गया कि किसी निर्णय अथवा समझौते के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति जो RFCTLARR अधिनियम की धारा 96 के जरिये आयकर के लगने से विमुक्त है आयकर अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत करयोग्य नहीं होगा चाहे यदि आयकर अधिनियम, 1961 में इस प्रकार की विमुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

6. 0;kikj xfrfof/k lcf/kr 0;; dh vLohÑfr d dkj.k c<s g, ykHk ij v/;k; **VI-A** d vUrxr dVkSrh dh Lohdk;Zrk **[ifji= l[;k 37/2016,** fnukd **02-11-2016]**

© The Institute of Chartered Accountants of India

आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय VI-A कुछ आय के संबंध में कटौती को प्रदान करता है। एक व्यापार गतिविधि की लाभ तथा हानि की गणना में, करनिर्धारण अधिकारी कुछ अस्वीकृति कर सकता है जैसे धारा 32, 40(a)(ia), 40A(3), 43B इत्यादि से संबंधित अस्वीकृति। कई बार दावा विशिष्ट व्यय में से अस्वीकृति की जा सकती है अस्वीकृति का प्रभाव लाभ में वृद्धि है।

मुद्दा है क्या इस प्रकार का ज्यादा लाभ का परिणाम अध्याय VI-A के अन्तर्गत उच्च लाभ से जुड़ी कटौती का दावा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि व्यापार से संबंधित धारा 32, 40(a)(ia), 40A(3), 43B इत्यादि तथा अन्य विशिष्ट अस्वीकृति जिसके विरूद्ध अध्याय VI-A कटौती का दावा किया है का परिणाम पात्र व्यापार का लाभ में वृद्धि है तथा अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती इस प्रकार अस्वीकृति द्वारा बढ़े हुए लाभ पर स्वीकार्य है।

7. ,d lk>snkj ds ekeys esa dh eu chek ikfylh ij QeZ }kjk mRiUu O;; dh Lohdk;Zrk **[ifji= la[;k 38/2016,** fnukad **22-11-2016]**

मुद्दा क्या एक साझेदार के मामले में कीमेन बीमा पालिसी प्रीमियम पर फर्म द्वारा उत्पन्न व्यापार व्यय के रूप में स्वीकार्य है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि एक फर्म के मामले में व्यापार का व्यवधान के विरूद्ध फर्म को सुरक्षित रखने के लिए एक साझेदार की कीमेन बीमा पॉलिसी पर फर्म द्वारा भुगतान प्रीमियम अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय है।

8. ,d vkS|ksfxd miØe }kjk izkIr ifjogu] fo|qr rFkk C;kt lgk;rk /kkjk **80-IB, 80-IC** bR;kfn ds vUrxZr dVkSrh ds fy, ik=rk **[ifji= la[;k 39/2016,** fnukd **29-11-2016]**

मुद्दा क्या एक औद्योगिक उपक्रम/पात्र व्यापार द्वारा प्राप्त परिवहन, विद्युत तथा ब्याज सहायता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IB/80-IC के अर्थ के अंदर व्यापार गतिविधियों से प्राप्त व्यापार का लाभ तथा अर्जन है तथा इसलिए अधिनियम का अध्याय VI-A के अन्तर्गत अनुरूप कटौती का दावा करने के लिए पात्र है। इस प्रकार की प्राप्ति को करनिर्धारण अधिकारी द्वारा 'अन्य स्रोत से आय के रूप में माना जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि उत्पादन/निर्माता की लागत अथवा निर्मित वस्तु की बिक्री की तरफ प्रतिपूर्ति औद्योगिक उपक्रम/पात्र व्यापार से प्राप्त व्यापार की लाभ तथा हानि का भाग है तथा इसलिए अधिनियम की अध्याय VIA के अन्तर्गत लागू कटौती के लिए स्वीकार्य है।

9. ,d Hkkjrh; cSad ds lkFk j[kj ¼vfuokl h ckgjh½ [kkrk esa ikfjJfed izkIr djus okyk vfuokl h ukfod ds fy, Hkkjr esa vk;dj dk nkf;Ro ds lEc/k esa Li"Vhdj.k **[ifji= la[;k 13/2017,** fnukd **11-04-2017** rFkk **ifji= la[;k 17/2017,** fnukd **26-04-2017]**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोट किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5(2)(a) प्रदान करती है कि एक अनिवासी की इस प्रकार की आय भारत में कर के तहत होगी जिसे या तो

© The Institute of Chartered Accountants of India

भारत में प्राप्त किया अथवा प्राप्त किया माना गया है।

तदानुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया कि विदेश में जाने वाला जहाज (भारतीय अथवा विदेशी फंडा के साथ) पर भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए अनिवासी नाविक को उपार्जित वेतन को केवल इसलिए कुल आय में सम्मिलित नहीं किया कि उक्त वेतन को नाविक द्वारा एक भारतीय बैंक के साथ रखे अनिवासी बाहरी खाता में वेतन को क्रेडिट किया है।

10. ,d vk|kfxd ikd@fo'k"k vkfFkd {k= e vU; lfo/kkvk d lkFk Hkou@fodflr LFkku dk fdjk;k ij nu l iVVk fdjk;k **[ifji= l[;k 16/2017,** fnukd **25-04-2017]**

मुद्दा क्या एक औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के साथ परिसर/विकसित स्पेस का किराया से उत्पन्न आय को भीर्ष 'व्यापार अथवा पेशे का लाभ तथा अर्जन अथवा शीर्ष "गृह सम्पत्ति से आय" के अंदर प्रभारित किया जायेगा। करनिर्धारी व्यापार गतिविधि के रूप में किराया का दावा कर सकता है शीर्ष 'व्यापार का लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत कर से प्रभारित किया जाता है जबकि करनिर्धारण अधिकारी इसे शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय के रूप में प्रभारयोग्य मानते है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एक उपक्रम के मामले में जो सरकार द्वारा बनायी तथा अधिसूचित योजना के अनुसार अधिसूचित औद्योगिक पार्क। विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित विकसित तथा परिचालित तथा परिचालित तथा बनाये रखता है, एक औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के साथ परिसर। विकसित स्पेस का किराया से आय को भीर्ष 'व्यापार का लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत कर से प्रभारित किया जायेगा।

III. djk/kku dkuu ¼l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2016 }kjk fd;k l'kks/ku

(1) dsnh; ljdkj }kjk viuk vk'k d vrj.k d ifj.kke e igy dh lkoZtfud {k= dEiuh dk iFkd dEifu;k e foHkktu vFkok iqnxBu dk xj&foy; ekuk tk;xkA

djfu/kkj.k o"k 2017&18 l iHkkoh

(i) आयकर अधिनियम, 1961 का विद्यमान प्रावधान इकाइयों का गैर के मामले में पूँजीगत सम्पत्ति का अंतरण, हानि का आगे ले जाना, कुछ कटौती का दावा से संबंधि तमामले में कर तटस्थता को प्रदान करता है।

(ii) करनिर्धारण वर्ष 2016–17 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(19AA) के अनुसार भाब्द 'गैर–विलय' अपने स्कोप में एक कम्पनी का विभाजन अथवा पुर्ननिर्माण को सम्मिलित नहीं करता जो सरकार द्वारा पृथक् कम्पनियों में अं ों के अंतरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी नहीं रहती चाहे यदि विभाजन अथवा पुर्ननिर्माण को सरकार द्वारा अं ों के उक्त अंतरण से जुड़ी भार्तों को प्रभाव देने के लिए किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) पहले की सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों का विभाजन अथवा पुनःनिर्माण को सुलभ करने केविचार से तथा सरकार द्वारा अं ों के अंतरण से जुड़ी भार्तों को प्रभाव देने के लिए करनिर्धारण वर्श 2017–18 के प्रभाव से धारा 2(19AA) को डाला है जो प्रावधान करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा पृथक् कम्पनियों में अपने अं ों के अंतरण के परिणामस्वरूप एक कम्पनी जो सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी नहीं रहती का पुर्ननिर्माण अथवा विभाजन को गैर–विलय माना जायेगा यदि पुर्ननिर्माण अथवा विभाजन को अं ों का उक्त अंतरण से जुड़ी किसी भार्त को प्रभाव देने के लिए किया है तथा साथ में अन्य भार्तों को भी पूरा करता है जैसा राजकीय राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

(iv) परिणामतः धारा 47 के अनुसार, गैर–विलय की योजना में पूँजी सम्पत्ति का अंतरण नहीं माना जाता तथा अतएव पूँजीगत लाभ कर दायित्व नहीं लगेगा। आगे, गैर–विलय सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी का संग्रहित हानि तथा गैर–अव ोषित ह्रास को धारा 72A(4) के प्रावधान के अनुसार परिणामतः कम्पनी के हाथों में सेट–ऑफ के लिए आगे ले जाया जा सकता है साथ में, धारा 80-1A से 80-IE के अन्तर्गत लाभ से जुड़ी कर कटौती जो पहले की गैर–विलय सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी को उपलब्ध थी, गैर–समाप्ति अवधि के लिए परिणामतः कम्पनी को भी उपलब्ध होगी। उपक्रम की गैर–विलय के उद्दे य के लिए सम्पूर्ण तथा एकनिश्ठ रूप से उत्पन्न व्यय करने वाली कम्पनी गैर–विलय के वर्श से आरंभ पाँच बाद के गत वर्शों में प्रत्येक के लिए इस प्रकार के व्यय का 1/5 के बराबर रा ि का धारा 35DD के अन्तर्गत कटौती के लिए हकदार है।

(2) diMk 0;kikj e fylr djfu/kkjh d ekey e /kkjk **80JJAA** d vUrxr dVkrh d mí'; d fy, ,d deipkjh dk jktxkj dh U;ure vof/k dh NV **[/kkjk 80JJAA]**

djfu/kkj.k o"k 2017&18 l iHkkoh

(i) करनिर्धारण वर्श 2016–17 तक नये श्रमिक के रोजगार के संबंध में धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती एक कारखाना में वस्तु के निर्माण से लाभ तथा अर्जन को प्राप्त करने वाले करनिर्धारी को उपलब्ध है। सभी क्षेत्रों को रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए धारा 80JJAA को करनिर्धारण वर्श 2017–18 के प्रभाव से वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापना किया।

(ii) नयी धारा 80JJAA के अन्तर्गत, नयी कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती उपलब्ध है जहां पर एक करनिर्धारी जिस पर धारा 44AB लागू है की सकल कुल आय में व्यापार से प्राप्त कोई लाभ तथा अर्जन सम्मिलित है।

(iii) इस प्रकार के करनिर्धारी के मामले में, गत वर्श में इस प्रकार के व्यापार के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30% के बराबर रा ि की कटौती कुछ निर्दिश्ट भार्तों के पूरा करने के तहत इस प्रकार के रोजगार को प्रदान करने के गत वर्श से संबंधित करनिर्धारण वर्श सहित तीन करनिर्धारण वर्श के लिए स्वीकृत होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यह भार्त है कि कर्मचारी गत वर्ष के दौरान 240 से कम नहीं अवधि के लिए रोजगार में होना चाहिए।

(iv) कपड़ा परिधान के उत्पादन व्यापार की मौसमी प्रकृति पर विचार करते हुए कर्मचारी जो व्यापार में नियोजित है के लिए रोजगार की न्यूनतम अवधि से गत वर्ष के दौरान 240 दिवस से घटाकर 150 दिवस कर दिया। इसलिए अप्रैल के निर्माण के व्यापार में लिप्त एक करनिर्धारी के मामले में, धारा 80JJAA के अन्तर्गत कटौती गत वर्ष के दौरान कम से कम 150 दिवस की अवधि के लिए रोजगार में कर्मचारियों के संबंध में उत्पन्न अतिरिक्त कर्मचारी लागत के संबंध में उपलब्ध होगी।

IV. djk/kku dkuu ¼f}rh; l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2016 }kjk fd;k l'kks/ku

उच्च मूल्य मुद्दा का विमोद्रिकरण करने के परिणामस्वरूप, जिसमें निर्दिष्ट बैंक नोट को कानूनी मुद्दा ना होने की घोषणा की है कराधान (कानून) (द्वितीय संशोधन) बिल 2016 को नवम्बर 28, 2016 को लोक सभा में प्रस्तुत बिल को लोक सभी द्वारा 29 नवम्बर 2016 में पारित किया। इसने आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2016 को संशोधित करने की मांग की। कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) को 15 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2016 को निम्न महत्वपूर्ण संशोधन को किया:

vLi"V /ku] fuos'k] O;; bR;kfn dk /kkjk 69 vFkok /kkjk 69A vFkok /kkjk 69B vFkok /kkjk 69C vFkok /kkjk 69D d vUrxr vk; dk ekudj /kkjk 115BBE d vUrxr mPp dj dk yxkuk

करनिर्धारण वर्ष 2016–17 तक धारा 115BBE धारा 68 अथवा धारा 69 अथवा धारा 69A अथवा धारा 69B अथवा धारा 69C अथवा धारा 69D के अन्तर्गत आय के रूप में माना अस्पष्ट धन, निवेश, व्यय इत्यादि पर 30% की दर से कर जमा अधिभार यदि लागू जमा 3% की दर से उपकर लगाने को प्रदान करता है।

धारा को धारा 68, 69, तथा 69A से 69D में संदर्भित तथा करनिर्धारण अधिकारी द्वारा निश्चित अथवा धारा 139 के अन्तर्गत जमा आय की विवरणी में परिलक्षित आय पर 60% की दर से कर जमा कर पर 25% की दर से अधिभार को प्रदान करने के लिए करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से संशोधित किया है।

इसलिए, कर की प्रभावी दर (कर की 25% की दर से अधिभार तथा कर तथा अधिभार का 3% की दर से उपकर सहित) 77.25% है।

मूल विमुक्ति की अस्वीकार्यता अथवा इस प्रकार की आय के विरूद्ध स्वीकृति अथवा व्यय तथा आय के विरूद्ध हानि का सेट ऑफ की गैर–अनुमति के संबंध में विद्यमान सीमाएं जारी रहेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

Hkkx –II : i'u rFkk mÙkj

i'u

vkokl h; fLFkfr rFkk dy i'u vk; dk Ldk i

1. श्री आकाश ने गत वर्ष 2016–17 के दौरान निम्न आय को अर्जित किया। करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए उसकी आय की गणना करें। यदि वह (i) निवासी तथा साधारणतः निवासी है (ii) निवासी परन्तु साधारणतः निवासी नहीं है, (iii) अनिवासी।

Ø- l [;k	fooj.k	(₹)
1.	कनाड़ा विकास बोर्ड पर ब्याज (केवल 50% ब्याज का भारत में प्राप्त किया	40,000
2.	मलेशियन कम्पनी से लाभांश को मलेशिया में प्राप्त किया	20,000
3.	भारत में प्राप्त एक भारतीय कम्पनी का अंशों की बिक्री पर अल्पकालीन पूँजी लाभ	90,000
4.	यूको बैंक दिल्ली में बचत खाता जमा पर ब्याज	12,000
5.	मलेशिया (भारत में स्थापित) पेशे से आय जिसमें से ₹ 10,000 को भारत में प्राप्त किया	15,000
6.	गुजरात में स्थित एक जमीन से कृषि आय	45,000
7.	ल्दन में गृह सम्पत्ति के संबंध में लंदन से प्राप्त किराया	60,000

vk; tk dy vk; dk Hkk"kk ugh curk

2. संक्षिप्त कारणों के साथ परीक्षण करें क्या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के संदर्भ में निम्न वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है।

   (a) श्री रहीम ने 01.07.2017 को ली गयी पॉलिसी जिसकी बीमित राशि ₹ 13 लाख थी के संबंध में जीवन बीमा निगम से 31.03.2017 को ₹ 18 लाख की राशि को प्राप्त किया। इसके लिए उसने ₹ 10 लाख का एक समय प्रीमियम का भुगतान किया। श्री रहीम द्वारा प्राप्त ₹ 18 लाख की राशि धारा 10(10D)(c) के अन्तर्गत पूर्णतः विमुक्त है।

   (b) एक परमवीर चक्र विजेता श्री भार्मा जो पहले केंद्रीय सरकार सेवा में था द्वारा प्राप्त ₹ 2.20.000 की पेंशन विमुक्त है।

   (c) एक व्यक्ति अथवा कानूनी वारिस द्वारा स्थानीय निकाय से प्राप्त आपदा के कारण

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्षतिपूर्ति करयोग्य है।

(d) 15% अंशों को धारण करने वाला एक क्लोजली हेल्ड कम्पनी का अंशधारक श्री Q ने उस कम्पनी से लाभांश को प्राप्त किया जिसे एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश माना जायेगा अतएव धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त है।

oru l vk;

3. Gama Ltd. में विपणन प्रबन्धक के रूप में कार्यरत श्री नरेन्द्र 31.03.2017 से समाप्त वर्ष के लिए निम्न सूचना देता है:

(i) 31.10.2016 तक मूल वेतन ₹ 50,000 प्रतिमाह
01.11.2016 से मूल वेतन ₹ 60,000 प्रतिमाह

नोटः वेतन प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को देय होती है तथा भुगतान किया जाता है।

(ii) महगाई भत्ता, मूल वेतन का 40: की दरा से (सेवानिवृत्ति अवकाश के लिए वेतन का भाग नहीं)।

(iii) बोनस एक माह वेतन के बराबर है। अक्टूबर, 2016 में उस माह के लिए लागू वेतन जमा महंगाई भत्ता पर भुगतान किया।

(iv) कर्मचारी का मान्यता प्राप्त भविश्य निधि में कर्मचारी का मूल वेतन का 16% की दर से अंशदान। नियोक्ता ने समतुल्य राशि का अंशदान किया।

(v) ₹ 3,000 का पेशेवर कर का भुगतान जिसमें ₹ 2000 का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया।

(vi) कम्प्यूटर तथा लेपटाप की सुविधा को नरेन्द्र को दोनों सरकारी तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रदान किया। ₹ 45,000 की लागत का लेपटाप तथा ₹ 35,000 का कम्प्यूटर को कम्पनी द्वारा 01.12.2016 को अधिगृहीत किया।

(vii) नियोक्ता के स्वामित्व वाली मोटर कार (1.60 लीटर से अधिक इंजन की क्यूबिक क्षमता) को दोनों सरकारी तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 01.11.2016 से कर्मचारी को प्रदान किया। 01.11.2016 से 31.03.2017 तक ₹ 45,000 की मरम्मत तथा रनिंग लागत को नियोक्ता द्वारा किया गया। मोटर कार कर्मचारी द्वारा स्वचालित थी।

(viii) कर्मचारी उसकी पत्नी तथा तीन बच्चों (एक पुत्री 6 वर्ष तथा जुड़वे पुत्र 4 वर्ष) को अवकाश यात्रा रियायत दी गयी। नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति वायु टिकट (इकोनमी श्रेणी), व्यस्क के लिए ₹ 20,000 तथा तीन बच्चों के लिए ₹ 30,000 थी। नरेन्द्र कानून में अनुमेय की हद तक इस वर्ष विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र है।

श्री नरेन्द्र ने निम्न भुगतान किया:

(i) नकद में भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम ₹ 4,000

(ii) एकाउंट पेयी रेखांकित चेक द्वारा भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम ₹ 25,700

© The Institute of Chartered Accountants of India

करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए श्री नरेन्द्र के हाथों में वसूलीयोग्य कुल आय तथा उस पर कर की गणना करें।

xg lEifÙk l vk;

4. सुरभी के दो मकान है, दोनों की स्वयं गृहण में है। आपको करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए गृह सम्पत्ति से सुरभी की आय की गणना करें तथा सुझाये कि सुरभी द्वारा स्वयं गृहण के रूप में निर्धारण के लिए किस मकान को चुनना चाहिए ताकि उसका कर दायित्व न्यूनतम हो।

इनके विवरण को नीचे दिया हैः

(₹ e udn)

fooj.k	edku - I	edku - II
प्रति वर्ष पालिका मूल्यांकन	1,30,000	1,15,000
प्रति वर्ष उचित किराया	1,10,000	1,70,000
प्रति वर्ष मानक किराया	1,00,000	1,65,000
पूर्णता की तिथि	31-03-1999	31-03-2001
वर्ष के दौरान भुगतानयोग्य पालिका कर (केवल मकान–II के लिए भुगतान किया)	12%	8%
चालू वर्ष के दौरान सम्पत्ति की मरम्मत के लिए ऋण पर ब्याज	-	55,000

0;kikj vFkok i'k dk ykHk rFkk vtu

5. श्री प्रकाश जो खुदरा व्यापार में लिप्त है ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 1,77,50,000 की टर्नओवर का प्रतिवेदन किया। लेखा की पुस्तकों के अनुसार व्यापार से उसकी आय ₹ 10,20,000 है। श्री प्रकाश के खुदरा व्यापार की आय का एकमात्र स्रोत है।

(i) क्या श्री प्रकाश करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए मान्यता कराधान योजना को चुनने के लिए पात्र है।

(ii) यदि ऐसा है तो, लागू मान्यता प्रावधान के अनुसार खुदरा व्यापार से उसकी आय का निर्धारण करें।

(iii) जहां पर श्री प्रकाश ने खुदरा व्यापार से आय की मान्यता कराधान के अनुसार चुना नहीं है, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उसका दायित्व क्या है?

(iv) दोनों विकल्प के अन्तर्गत आय की विवरणी को फाइल करने की देय तिथि क्या है।

iwathxr ykHk

6. 55 वर्षीय क्या मित्तल एक आवासीय गृह के स्वामी है जिसे ₹ 5,50,000 में सितम्बर, 1993 में क्रय किया गया था। उसने उक्त घर को 25 सितम्बर, 2016 को ₹ 34,00,000 में बेच दिया। उक्त आवासीय मकान का स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार मूल्यांकन

© The Institute of Chartered Accountants of India

₹ 43,00,000 था। उसने 12 जनवरी 2017 को NHAI बांड में ₹ 5,00,000 का निवेश किया। उसने 15 जुलाई 2017 को ₹ 10,00,000 में एक आवासीय गृह का क्रय किया। उसके अन्य दिये गये विवरण निम्न है:

बैंक स्थायी जमा पर ब्याज	₹ 32,000
सार्वजनिक भविश्य निधि में निवेश	₹ 50,000

आपसे करनिर्धारण वर्श 2017–18 के लिए करयोग्य आय तथा करदायित्व की गणना करने की प्रार्थना की जाती है।

वित्तीय वर्श 1993–94 तथा 2016–17 के लिए लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 244 तथा 1125 है।

vU; lkr ls vk;

7. अंशों में एक डीलर श्री कृश्ण ने अपने मित्र श्री राजू से बिना प्रतिफल के निम्न को प्राप्त किया:

(1) 15 अप्रैल, 2016 को उसकी वर्शगांठ पर ₹ 70,000 का नकद उपहार।

(2) 19 जून, 2016 को उसके जन्म दिवस पर कीमती धातु के जेवर जिनकी बाजार कीमत ₹ 51,000 थी।

(3) 1 जुलाई, 2016 को गाजियाबाद में जमीन का प्लांट जिसका उस तिथि का स्टेम्प मूल्य ₹ 5 लाख है। श्री राजू ने जमीन को अप्रैल 2008 में क्रय किया था।

श्री कृश्णा ने अपने मित्र श्री पंकज जो भी अंशों का डीलर है से 25 जून 2016 को ₹ 450 प्रत्येक की दर से 1000 अंशों का क्रय किया, उस तिथि को जिसकी बाजार कीमत ₹ 650 प्रत्येक थी। श्री कृश्णा ने अपने ब्यापार के दौरान 30 जून, 2016 को इन अंशों को बेच दिया।

आगे, 21 नवम्बर, 2016 को श्री कृश्णा ने दो वर्श पूर्व बुक सम्पत्ति (भवन) का गृहण ₹ 20 लाख में लिया। 21 नवम्बर, 20160 को सम्पत्ति का स्टेम्प ड्यूटी मूल्य ₹ 30 लाख था तथा बुकिंग की तिथि को स्टेम्प ड्यूटी मूल्य ₹ 23 लाख था। उसने बुकिंग की तिथि को डाउन भुगतान के रूप में अकाउंट पेयी चेक के द्वारा ₹ 1 लाख का भुगतान किया।

11 मार्च, 2017 को उसने ₹ 7 लाख में गाजियाबाद के प्लांट को बेंच दिया।

करनिर्धारण वर्श 2017–18 के लिए 'अन्य स्रोत से आय' तथा पूँजीगत लाभ' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना करें।

djfu/kkZjh dh dqy vk; esa lfEefyr vU; O;fDr dh vk;

8. श्री कबीर ने 20.05.2016 को अपने भाई के अव्यस्क पुत्र को ₹ 9 लाख की राशि का उपहार दिया। 25.05.2016 को उसके भाई ने श्री मती कबीर को ₹ 10 लाख का ऋण

© The Institute of Chartered Accountants of India

पत्र उपहार में दिया। श्री कबीर का भाई ने 9% प्रति वर्ष की दर से बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थायी जमा में राशि को निवेशित किया तथा श्री मती कबीर ने प्राप्त ऋण पत्र पर ₹ 81,000 का ब्याज को प्राप्त किया।

आयकर अधिनियम, 1961 का प्रावधान के अन्तर्गत कर प्रभाव की चर्चा करें।

gkfu;k dk lV vkQ rFkk vkxs y tkuk

9. श्री विराट की सकल कुल आय की गणना करें तथा 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए दी गयी निम्न सूचना से आगे ले जाने के लिए पात्र मदों को दिखायें:

fooj.k	jkf'k (₹)
वेतन से आय	2,50,000
गृह सम्पत्ति से हानि	1,50,000
व्यापारी व्यापार से आय	45,000
बट्टा व्यापार X से आय	5,000
बट्टा व्यापार Y से हानि	25,000
धारा 35AD के अन्तर्गत कवर निर्दिष्ट व्यापार से हानि	20,000
भाहरी जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	2,00,000
अंशों की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजीगत हानि	75,000
मान्यता प्राप्त स्टॉक इक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजीगत हानि	82,000

अन्य आगे लायी गयी हानि:

(i) करनिर्धारण वर्ष 2016–17 से संबंधित दौड के घोड़ो का स्वामित्व तथा रखने से हानि ₹ 20000।

(ii) करनिर्धारण वर्ष 2013–14 से संबंधित ₹ 5000 का व्यापारी व्यापार से आगे लायी हानि।

ldy dqy vk; l dVkrh

10. 65 वर्षीय श्री शिवा की वेतन तथा गृह सम्पत्ति से मिलकर ₹ 7,75,000 की सकल कुल आय है। उसने निम्न भुगतान तथा निवेश किया है:

(i) टपनी व्यस्क पुत्री के जीवन का बीमा करवाने के लिए भुगतान प्रीमियम ₹ 20,000 (पॉलिसी को 01.04.2014 को लिया तथा बीमित मूल्य ₹ 180000)।

(ii) चेक द्वारा भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम स्वयं के लिए ₹ 12,000 जीवन साथी के लिए ₹ 14,000।

(iii) चेक के जरिये धारा 80G के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक धमार्थ संस्थान को दान ₹ 1,50,000।

(iv) जीवन बीमा निगम पेंशन फंड ₹ 60,000।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(v) राष्ट्रीय बाल फंड को दान चेक के जरिये ₹ 25,000।

(vi) जवाहर लाल नेहरू स्मारक फंड को दान चेक के जरिये ₹ 25,000।

(vii) परिवार नियोजन के संवर्द्धन के लिए अनुमोदित संस्थान को दान – चेक के जरिये ₹ 40,000।

करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए श्री शिवा की कुल आय की गणना करें:

,d 0;fDr dh dqy vk; dh x.kuk

11. एक निवासी व्यक्ति श्री राजीव स्वास्थ्य उत्पाद का थोक व्यापार में लिप्त है। वह एक साझेदारी फर्म XYZ & Co. में भी साझेदार है। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न विवरण उपलब्ध है:

Ø- l[;k	fooj.k	₹	₹
(i)	15% पर XYZ & Co. से पूँजी प्राप्त ब्याज		1,50,000
(ii)	स्थिर जमा पर बैंक से ब्याज (₹ 1500 का स्रोत पर कर कटौती से नेट)		13,500
(iii)	₹ 2300 का ब्याज सहित करनिर्धारण वर्ष 2014–15 से संबंधित आयकर वापसी का प्राप्त किया		34,500
(iv)	थोक व्यापार से शुद्ध लाभ		5,60,000
डेबिट राशि में निम्न सम्मिलित है:			
	पुस्तकों के अनुसार ह्रास	34,000	
	मोटर कार व्यय	40,000	
	दुकान के लिए पालिका कर	7,000	
	(दो अर्द्ध वर्षों के लिए एक अर्द्धवर्ष के लिए भुगतान 12.07.2017 को अन्य के लिए 31.12.2017 को किया)		
	एकल नकद भुगतान के जरिये प्रबन्धक को वेतन	21,000	
(v)	उपरोक्त थोक व्यापार में प्रयुक्त सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य (01.04.2016) को निम्न है:		
	कम्प्यूटर	1,20,000	
	मोटरकार (व्यक्तिगत उपयोग के लिए 20% प्रयुक्त)	3,20,000	
(vi)	स्वयं निर्भर पुत्र के लिए भुगतान जीवन बीमा प्रीमियम	60,000	
	पत्नी के लिए सार्वजनिक भविश्य निधि	70,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

आपको करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए राजीव की कुल आय तथा सम्पत्तियों का प्रत्येक ब्लाक का अंतिम अपलिखित मूल्य की गणना करनी है।

vfxe dj rFkk lkr ij dj dVkSrh ls lcf/kr iko/kku

12. निम्न मामलों में स्रोत पर कर कटौती प्रावधान का लागू होने तथा कटौती की जाने वाली कर की रा ि (यदि कोई है तो) का परीक्षण करें:

(a) श्री राम जिसके पास PAN को तकनीकी सेवा के लिए ₹ 22,000 तथा ₹ 25000 की रॉयल्टी भुल्क का भुगतान किया।

(b) M/s ABC Ltd. की स्पे ाफिके ान के अनुसार तैयार डायरी के क्रय के लिए श्री X को ₹ 2,00,000 का भुगतान। यद्यपि ABC Ltd. द्वारा X को इस प्रकार की डायरी के लिए किसी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति नहीं की।

(c) ₹ 25,00,000 की बिक्री टर्नओवर तथा ₹ 15,000 की भुद्ध हानि वाली साझेदारी फर्म के द्वारा प्लांट तथा म ीनरी के लिए भुगतान किराया ₹ 1,50,000।

vki dh fooj.kh dks Qkby djus ds fy, iko/kku

13. निम्न व्यक्तियों के मामले में आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन है:

(i) स्थानीय निकाय

(ii) कोई प्रबन्धकीय साझेदार वाली फर्म नहीं

(iii) अनिवासी कम्पनी

(iv) राजनैतिक दल

lq>k;s mÙkj@lqdsr

1. करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए श्री आकाश की कुल आय की गणना

Ø- la[;k	fooj.k	fuokl h rFkk lk/kkj.k fuokl h (₹)	fuokl h ijUrq vlk/kkj.k fuokl h	vfuokl h (₹)
1.	कनाड़ा विकास खंड पर ब्याज (ukV 1 ns[ks)	40,000	20,000	20,000
2.	मलेशिया कम्पनी से मलेशिया में प्राप्त लाभांश (ukV 2 ns[ks)	20,000	-	-
3.	एक भारतीय कम्पनी की अं ों की बिक्री पर अल्पकालीन पूँजी लाभ को भारत में प्राप्त किया	90,000	90,000	90,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

4.	यूको बैंक दिल्ली में बचत बैंक जमा दर ब्याज	12,000	12,000	12,000
5.	म्लेि या में पे ा (भारत में स्थापित) से आय जिसमें से ₹ 10,000 को भारत में प्राप्त किया ¼ukV 1 n[k½	15,000	15,000	10,000
6.	गुजरात में एक जमीन से कृषि आय ¼ukV 3 n[k½	-	-	-
7.	लंदन में गृह सम्पत्ति से आय (ukV 4 n[k)	42,000		
	ldy dqy vk;	**2,19,000**	**1,37,000**	**1,32,000**
घटायें: अध्याय VIA के अन्तर्गत कटौती	10,000	10,000		10,000
धारा 80 TTA (नोट 5 देखें)	2,09,000	1,27,000		1,22,000

ukV:

(1) धारा 5(1) के अनुसार एक निवासी के मामले में वै िक आय करयोग्य है। यद्यपि, धारा 5(2) के अनुसार, एक अनिवासी के मामले में, निम्न आय भारत में कर से वसूलीयोग्य है:

(i) भारत में प्राप्त अथवा भारत में प्राप्त माने जाने वाली आय, तथा

(ii) भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न अथा उपार्जित अथवा उत्पन्न माने जाने वाली।

आय जो भारत बाहर उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई एक निवासी परन्तु साधारणतः निवासी नही के मामले में वसूलीयोग्य होगी यदि इस प्रकार की आय को भारत में स्थापित पे ो से प्राप्त किया है।

तदानुसार् कनाडा विकास बोर्ड के समस्त ब्याज तथा मलेि ा में पे ो से आय श्री आका ा के हाथों में कर से वसूलीयोग्य होगी यदि वह भारत में निवासी है।

यदि वह निवासी परन्तु साधारणतः निवासी नहीं है तब भी मलेि ा में पे ो से समस्त आय उसके हाथों में वसूलीयोग्य होगी क्योंकि पे ो को भारत में स्थापित किया। कनाडा विकास बोर्ड पर ब्याज केवल उस हद तक करयोग्य होगा जिसे भारत में प्राप्त किया।

यद्यपि, यदि वह अनिवासी है तब ब्याज आय तथा पे ो से आय का वह भाग जिसे भारत में प्राप्त किया उसके हाथों में करयोग्य होगा।

(2) मलेि ा आधारित कम्पनी से मलेि ा में प्राप्त लाभां ा श्री आका ा के हाथों में तब ही करयोग्य होगा यदि वह भारत में निवासी तथा साधारणतः निवासी है। यदि वह निवासी परन्तु साधारणतः निवासी नहीं है। अथवा अनिवासी है, यह उसके हाथों में भारत में करयोग्य नहीं होगा, क्योंकि ना ही तो यह भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई है तथा नाही इसे भारत में प्राप्त किया।

(3) भारत में स्थित एक जमीन के कृषि आय दोनों अनिवासी तथा निवासी के मामले में धारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

10(1) के अन्तर्गत विमुक्त है।

(4) इसी तरह, लंदन से सम्पत्ति से किराया आय केवल तब ही करयोग्य होगी यदि वह भारत में निवासी है। यह माना गया है कि किराया आय सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य है। इसलिए धारा 24 के अन्तर्गत 30% की दर से कटौती को प्रदान किया है तथा इस प्रकार गणना भुद्ध आय को एक निवासी तथा साधारणतः निवासी की सकल कुल आय की गणना के लिए हिसाब में लिया है।

	₹
प्राप्त किराया (सकल वार्षिक मूल्य माना)	60,000
घटायें: धारा 24 के अन्तर्गत कटौती (₹ 60,000 30% का 30%)	18,000
गृह सम्पत्ति से आय	42,000

(5) एक व्यक्ति के मामले में, आवासीय स्थिति पर विचार किये बिना धारा 80TTA के अन्तर्गत एक बैंक के साथ बचत खाता में ₹ 10,000 तक ब्याज की कटौती के रूप में आज्ञा होगीः

2. **(a)** vlR;: धारा 10(10D)(c) के अनुसार, 01.04.2003 को अथवा उसके प चात् परन्तु 31.03.2012 को अथवा उससे पूर्व जारी बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त रा ि जिसके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी वर्श के लिए भुगतानयोग्य प्रीमियम वास्तविक बीमित रा ि का 20% से अधिक है, कर से विमुक्त नहीं होगी। क्योंकि उसके द्वारा भुगतान ₹ 10 लाख का एक समय प्रीमियम बीमित रा ि का 20% से अधिक है (अर्थात् यह ₹ 2.6 लाख, ₹ 13 लाख का 20% से अधिक है। LIC से प्राप्त ₹ 18 लाख की रा ि श्री रहीम के हाथों में विमुक्त नहीं है। आगे, रहीम को इस प्रकार भुगतान रा ि पर धारा 194DA के अन्तर्गत 1% की दर से कर कटौतीयोग्य है, क्योंकि यह धारा 10(10D) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं है तथा रा ि ₹ 1 लाख से अधिक है।

(b) lR;: धारा 10(18) के अनुसार, श्री सिन्हा एक भूतपूर्व केंद्रीय सरकार कर्मचारी जो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है, के द्वारा प्राप्त पें ान विमुक्त है।

(c) vlRe: धारा 10(10BC) के अनुसार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय से किसी आपदा के कारण एक व्यक्ति अथवा उसके कानूनी वारिस द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य क्षतिपूर्ति की रा ि कर से विमुक्त है। यद्यपि विमुक्ति एक व्यक्ति अथवा उसके कानूनी वारिस को उस हद तक उपलब्ध नहीं होगा यदि इस प्रकार की आपदा के कारण किसी हानि अथवा क्षति के कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत कटौती के रूप में आज्ञा है।

(d) vlR;: धारा 10(34) के अनुसार, धारा 115-O में संदर्भित लाभां ा के जरिये आय अं ाधारकों के हाथों में विमुक्त होगी। धारा 115-O के अन्तर्गत लाभां ा वितरण कर धारा 2(22)(e) के अन्तर्गत माना लाभां ा पर नहीं लगेगा तथा अतएव यह माना लाभां ा श्री Q के हाथों में धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं है।

3. <u>djfu/kkj.k o"kZ 2017&18 d fy, Jh ujn dh dy vk; rFkk dj nkf;Ro dh x.kuk</u>

© The Institute of Chartered Accountants of India

fooj.k	₹
मूल वेतन [(₹ 50,000 × 7) + (₹ 60,000 × 5)]	6,50,000
महगाई भत्ता (मूल वेतन का 40%)	2,60,000
बोनस (₹ 50,000 + ₹ 50,000 का 40%) (ukV **1** n[k)	70,000
वेतन का 12% का आधिक्य में मान्यता प्राप्त भविश्य निधि में नियोक्ता अं दान ₹ 6,50,000 का 4%)	26,000
नियोक्ता द्वारा पे `वर कर का भुगतान (ukV **5** n[k)	2,000
मोटरकार का अनुलाभ (5 माह के लिए ₹ 2,400) (ukV **3** n[k)	12,000
ldy oru	**10,20,000**
घटायें: धारा 16 के अन्तर्गत कटौती	
पे `वर कर (नोट 5 देखें)	3,000
dj;kX; oru@ldy dy vk;	**10,17,000**
?kVk;s v/;k; **VIA** ds vUrxr dVkSrh	
धारा 80C के अन्तर्गत कटौती (मान्यता प्राप्त भविश्यनिधि में स्वयं का अं ादान) 1,04,000	
₹ 25,700 की रा ि का चेक द्वारा भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80D के अन्तर्गत कटौती परन्तु ₹ 25,000 तक सीमित	
dy vk;	**8,88,000**
कुल आय पर कर [₹ 25,000 + (₹ 8,88,000 - ₹ 5,00,000) x 20%]	1,02,600
जोड़े: ि क्षण उपकर 2% की दर से	2,052
जोड़े: 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर ि क्षण	1,026
dy dj nkf;Ro	**1,05,678**
djnkf;Ro ¼jkmM vkQ½	**1,05,680**

ukV:

1. क्योंकि बोनस का भुगतान अक्टूबर माह में किया, गणना के लिए अक्टूबर माह के लिए ₹ 50,000 का मूल वेतन पर विचार किया।
2. नियम 3(7)(vii) के अनुसार, लेपटाप तथा कम्प्यूटर का उपयोग की सुविधा विमुक्त अनुलाभ है चाहे इसे अधिकारिक अथवा व्यक्तिगत उपयोग अथवा दोनों के लिए प्रयुक्त किया है।
3. नियम 3(2) के प्रावधान के अनुसार, जहां पर नियोक्ता के स्वामित्व में एक मोटरकार (इंजन क्यूबिक क्षमता 1.60 लीटर से अधिक है) को व्यक्तिगत तथा कार्यालय उपयोग के लिए बिना चालक के कर्मचारी को प्रदान किया है अनुलाभ का मूल्य ₹

© The Institute of Chartered Accountants of India

2400 प्रमिमाह होगा। कार को 01.11.2016 में कर्मचारी को प्रदान किया, इसलिए अनुलाभ मूल्य की 5 माह के लिए गणना की गयी है।

4. श्री नरेंद्र अवका ा यात्रा रियायत के लिए नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की समस्त रा ि पर धारा 10(5) के अन्तर्गत विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसे स्वयं, पत्नी तथा तीन बच्चों के लिए प्राप्त किया है तथा यात्रा को इकोनामी क्लास यात्रा भाड़ा से किया गया है। बहुजन्म के मामले में दो बच्चों के लिए लगाया प्रतिबंध लागू नहीं होगा जो प्रथम बच्चे के प चात् हुए है।

यह माना गया है कि अवका ा यात्रा रियायत को भारत के अंदर यात्रा के लिए प्राप्त किया है।

5. धारा 17(2)(iv) के अनुसार, "अनुलाभ" में नियोक्ता द्वारा एक दायित्व के संबंध में भुगतान रा ि है, यदि नियोक्ता नहीं करता। करनिर्धारी प्राप्त करनी पड़ती। इसलिए नियोक्ता द्वारा भुगतान ₹ 2000 का पे ोवर कर श्री नरेंद्र के हाथों में अनुलाभ के रूप में करयोग्य है। धारा 16(iii) के अनुसार, वर्ष के दौरान रोजगार पर कर अर्थात् पे ोवर कर के कारण वेतन से कटौती की आज्ञा है।

6. इसलिए, वर्तमान मामले में कर्मचारी की तरफ से नियोक्ता द्वारा भुगतान पे ोवर कर को पहले वेतन में सम्मिलित किया है तथा ₹ 3000 की समस्त पे ोवर कर को वेतन में प्रदान किया है।

7. ₹ 4000 का नकद में भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम धारा 80D के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। आगे, चेक के जरिये भुगतान चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती ₹ 25,000 तक सीमित है जो स्वीकार्य अधिकतम कटौती है।

4. इस मामले में, सुरभी की स्वयं ग्रहण के लिए एक से अधिक सम्पत्ति है। धारा 23(4) के अनुसार, सुरभी अपने विकल्प पर एक गृह सम्पत्ति के संबंध में केवल स्वयं ऋण का लाभ (अर्थात् " ून्य" वार्षिक मूल्य का लाभ) उठा सकती है। अन्य गृह सम्पत्ति को 'मानी किराया सम्पत्ति' मानी जायेगी जिसके संबंध में अपेक्षित किराया सकल वार्षिक मूल्य होगा। इसलिए सुरभी को यह निर्णय लेते हुए किस गृह सम्पत्ति को स्वयं ग्रहण सम्पत्ति मानना चाहिए सर्वाधिक लाभप्रद विकल्प पर विचार करना चाहिए।

fodYi 1 [xg I – Lo;a xg.k rFkk xg II – fdjk;k ij ekuk]

यदि गृह – 1 को स्वयं गृहण के लिए चुना, करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए गृह सम्पत्ति से सुरभी की आय होगीः

fooj.k	jkf'k ₹ में
गृह I (स्वयं–गृहण) [वार्षिक मूल्य भून्य]	भून्य
गृह II (किराया पर माना) [नीचे वर्किंग नोट को देखें]	54,060
xg lEifÙk ls vk;	**54,060**

© The Institute of Chartered Accountants of India

fodYi 2 [xg I – fdjk;k ij ekuk rFkk xg II – Lo;a xg.k]

यदि गृह II को स्वयं गृहण चुना, करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए गृह सम्पत्ति से सुरभी की आय होगीः

fooj.k	jkf'k ₹ esa
गृह I (किराया पर माना) [uhps ofdx ukV nsa[ks]	70,000
गृह II (स्वयं गृहण) [वार्षिक मूल्य भून्य परन्तु ₹ 30,000 की अधिकतम तक ब्याज कटौती उपलब्ध होगी। स्वयं गृहण सम्पत्ति की मरम्मत के लिए ऋण पर लिये धन के मामले में, ब्याज कटौती ऋण की तिथि पर विचार किये बिना ₹ 30,000 होगी]।	(30,000)
xg lEifÙk ls vk;	**40,000**

क्योंकि विकल्प 2 अधिक लाभप्रद है, सुरभी को गृह –II को स्वयं गृहण सम्पत्ति के रूप में चुनना चाहिए तथा गृह I को किराया पर माना गया, जिस मामले में उसकी करनिर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए गृह सम्पत्ति से आय ₹ 40,000 होगी।

ofdx ukV:

xg I rFkk xg II ls vk; dh x.kuk ;g ekudj fd nksuksa dks fdjk;k ij fn;k gS%

Particulars	Amount in Rupees	
	House I	House II
ldy okf"kZd eY;		
अपेक्षित किराया गृह सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य है		
अपेक्षित किराया – पालिका मूल्य तथा उचित किराया का ज्यादा परन्तु मानक किराया तक सीमित है।	1,00,000	1,65,000
घटायें: पालिका दर (गत वर्ष के दौरान स्वामी द्वारा भुगतान)		
'kq) okf"kZd eY;	**1,00,000**	**1,55,800**
घटायें: धारा 24 के अन्तर्गत कटौती		
(a) भुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%		
(b) ऋण सम्पत्ति पर ब्याज (किराया पर मानी सम्पत्ति के मामले में पूर्ण स्वीकृत)	30,000	46,740
fdjk; ij ekuh lEifÙk ls vk;	**70,000**	**54,060**

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. **(i)** हाँ। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उसकी कुल टर्नओवर ₹ 200 लाख से कम है, वह खुदरा व्यापार के संबंध में धारा 44AD के अन्तर्गत मान्यता कराधान योजना को चुनने के लिए पात्र है।

(ii) उसकी धारा 44AD के अन्तर्गत मान्यता कर प्रावधान को लागू कर खुदरा व्यापार से आय ₹ 14,20,000 जो ₹ 1,77,50,000 का 8% है होगी।

[यदि यह माना गया है कि श्री प्रका ा ने टर्नओवर की समस्त रा ि को एक बैंक खाता के जरिये इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम अथवा अकांट पेयी चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से प्राप्त किया है, मान्यता कराधान प्रावधान को लागू कर खुदरा व्यापार से उसकी आय ₹ 10,65,000, ₹ 1,77,50,000 का 6ः होगा]।

(iii) धारा 44AB व्यापार को चलाने वाले व्यक्ति को किसी गत वर्ष का खाता का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य करता है यदि उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर अथवा सकल प्राप्ति ₹ 1 करोड़ से अधिक है। यद्यपि, यदि एक पात्र व्यक्ति धारा 44AD(1) के अनुसार मान्यता कराधान योजना को चुनता है उसे अपने खाता के अंकेक्षण करवाने की आव यकता नहीं है यदि प्रासंगिक गत वर्ष की कुल टर्नओवर अथवा सकल प्राप्ति ₹ 2 करोड़ से अधिक नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने प्रेंस विज्ञप्ति दिनांक 20 जून, 2016 के जरिये स्पष्ट किया है कि खाता का गैर–अंकेक्षण के लिए उच्च न्यूनतम सीमा को केवल धारा 44AD के अन्तर्गत मान्यता कराधान योजना को चुनने वाले करनिर्धारी को दिया है।

इस मामले में, यदि श्री प्रका ा धारा 44AD के अन्तर्गत मान्यता कराधान योजना को नहीं चुनता, उसे अपनी लेखा की पुस्तकों का अंकेक्षण करवाना होगा तथा धारा 44AB के अन्तर्गत इस प्रकार के अंकेक्षण की रिपोर्ट देनी होगी क्योंकि गत वर्ष 2016–17 के दौरान उसी टर्नओवर ₹ 1 करोड़ से अधिक है।

(iv) जहां पर वह धारा 44AD के अन्तर्गत मान्यता कराधान योजना को चुनता है, देय तिथि 31 जुलाई 2017 होगी।

जहां पर वह मान्यता कराधान योजना को नहीं चुनता उसे अपने खातों का अंकेक्षण करवाना होगा, जिस मामले में विवरणी को फाइल करने की देय तिथि 30 सितम्बर 2017 होगी।

6. djfu/kkj.k o"k 2017&18 d fy, Jh feÙky dh dy vk; dh x.kuk

Particulars	₹	₹
ijth ykHk:		
आवासीय गृह की बिक्री कीमत	34,00,000	
स्टॉम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार मूल्यांकन	43,00,000	
(मूल्य को वास्तविक बिक्री कीमत अथवा धारा 50C के अनुसार स्टेम्प ड्यूटी उद्दे य के लिए अपनाया मूल्यांकन)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, पूँजीगत लाभ के उद्दे यके लिए प्रतिफल	43,00,000	
घटायें: अधिगृहण की सूचकांक लागत ₹ 5,00,000 x 1125/244	23,05,328	
19,94,672		
घटायें: धारा 54 के अन्तर्गत विमुक्ति ₹ 10,00,000		
धारा 54EC के अन्तर्गत विमुक्ति ₹ 5,00,000	15,00,000	
nh?kZdkyhu iwathxr ykHk		4,94,672
vU; lzksr ls vk;		
cSad LFkk;h tek ij C;kt		32,000
ldy dqy vk;		**5,26,672**
घटायें: अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती		
धारा 80C – सार्वजनिक भविश्य निधि में जमा (₹ 32,000 तक सीमित) [ukV **(ii)** ns[ks]		32,000
dqy vk;		**4,94,672**

djfu/kkZj.k o"kZ 2017&18 ds fy, djnkf;Ro dh x.kuk

fooj.k	₹
20% की दर से ₹ 2,44,672 पर कर [अर्थात् दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ घटा मूल्य सीमा (₹ 4,94,672- ₹ 2,50,000)] [ukV **(i)** dks ns[ks]	48,934
घटायें: धारा 87A के अन्तर्गत छूट	5,000
43,934	
जोड़ें: 2: की दर से f kk.k उपकर तथा 1: की दर से माध्यमिक तथा वरिश्ट f kk.k उपकर	1,318
Hkqxrku;ksX; dj	**45,252**
Hkqxrku;ksX; dj ¼jkmaM vkQ½	**45,250**

ukV:

(i) ₹ 2,50,000 की मूल विमुक्ति सीमा को दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(ii) धारा 80C के अन्तर्गत कटौती दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ को छोड़कर सकल कुल

© The Institute of Chartered Accountants of India

आय तक सीमित होगी।

7. djfu/kkj.k o"k 2017&18 d fy, Jh Ñ".kk dh ^vU; lkr l vk;* dh x.kuk

	fooj.k	₹
(1)	नकद उपहार धारा 56(2)(vii) के अन्तर्गत करयोग्य है क्योंकि यह ₹ 50,000 से अधिक है।	70,000
(2)	क्योंकि मूल्यवान धातु के जेवर सम्पत्ति की परिभाशा में सम्मिलित है, इसलिए, जब मूल्यांकन धातु के जेवर को बिना प्रतिफल के प्राप्त किया जाता है, यह करयोग्य है क्योंकि योग उचित कीमत ₹ 50,000 से अकिधक है।	51,000
(3)	बिना प्रतिफल के प्राप्त गाजियाबाद में जमीन का प्लांट का स्टेंप मूल्य धारा 56(2)(vii) 56(2)(vii) के अन्तर्गत करयोग्य है।	5,00,000
(4)	अं ों के एक डीलर श्री पंकज से क्रय ABC Ltd. का अं ों का मूल्य में ₹ 2 लाख का अंतर करयोग्य नहीं है क्योंकि यह श्री कृश्णा के व्यापारी स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृश्णा अं ों का डीलर है तथा यह वर्णित किया गया है कि अं ों को बाद में उसके व्यापार के दौरान बेंच दिया, इस प्रकार के अं ाश्री कृश्णा के व्यापारिक स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है।	-
(5)	बुकिंग की तिथि को ₹ 23 लाख का स्टेम्प ड्यूटी मूल्य तथा ₹ 20 लाख का वास्तविक प्रतिफल भुगतान का अंतर धारा 56(2)(vii) के अन्तर्गत करयोगय है (नोट 1 देखें)	3,00,000
अन्य स्रोत से आय		**9,21,000**

djfu/kkj.k o"k 2017&18 d fy, Jh Ñ".kk dh ^iwth ykHk* dh x.kuk

fooj.k	₹
बिक्री प्रतिफल	7,00,000
घटाये: अधिगृहण की लागत [धारा 49(4) के अनुसार धारा 56(2)(vii) के अन्तर्गत कर से वसूल स्टेम्प ड्यूटी माना] **[ukV (ii)** n[k]	5,00,000
vYidkyhu iwthxr ykHk	**2,00,000**

ukV:

(i) धारा 56(2)(vii) के प्रथम तथा द्वितीय उपबंध के अनुसार, स्टेम्प ड्यूटी मूल्य को पंजीकरण की तिथि के स्थान पर समझौते की तिथि को लिया जा सकता है, यदि अचल सम्पत्ति का अंतरण्सा के लिए प्रतिफल की रा ि को नि चित करने वाली समझौते की तिथि तथा पंजीकरण की तिथि एक नहीं है, व ार्ते प्रतिफल का न्यूनतम एक भाग का भुगतान समझौते की तिथि को उससे पूर्व नकद के

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से किया है।

श्री कृष्णा ने अकाउंट पेयी चेक द्वारा ₹ 1 लाख का भुगतान किया, समझौते की तिथि को स्टेम्प ड्यूटी मूल्य तथा प्रतिफल के मध्य अंतर भीर्ष 'अन्य स्रोत से आय' के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य होगा।

(ii) गाजियाबाद की जमीन की प्लांट पर बिक्री का परिणामतः पूंजीगत लाभ अल्पकालीन पूँजीगत लाभ होगा, क्योकि धारा 49(4) के अन्तर्गत कवर मामले में धारिता की अवधि गणना के लिए, गत स्वामी की धारिता की अवधि पर विचार नहीं किया।

8. दिये गये मामले में श्री कबीर ने 20.05.2016 को भाई के अव्यस्क पुत्र को ₹ 9 लाख की रा ि का उपहार दिया, तथा साथ में, उसके भाई ने 25.05.2016 को कबीर की पत्नी को ₹ 10 लाख का ऋणपत्र को उपहार में दिया। श्री कबीर का भाग का अव्यस्क पुत्र ने निवे ा किया।

यह आरंभ क्रास अंतरण की प्रकृति में है। तदानुसार, अंतरित सम्पत्ति की आय का निर्धारण माना अंतरणकर्ता के हाथों में किया जायेगा क्योंकि अंतरण एक एकल सौदे का भाग बनने के लिए इस तरह से अंतरण रूप से जुड़े है तथा प्रत्येक अंतरण परस्पर अथवा अन्यथा कर द्वारा अन्य के लिए प्रतिफल बनाता है।

यदि दो सौदे एक दूसरे से जुड़े है तथा उसी सौदे के इस तरीके से भाग है कि यह कहा जा सकता है कि चक्रीय तरीके को कर से चोरी करने के यंत्र के रूप में अपनाया है, क्लबिंग प्रावधान का प्रभाव आकर्षित होगा। इसका निर्णय *CIT vs Keshav ji Morarji (1967) 66 ITR 142* के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया।

धारा 64(1A) के अनुसार, अव्यस्क बच्चे की सभी आय माता–पिता जिसकी अव्यस्क की आय को सम्मिलित करने से पूर्व अधिक है में सम्मिलित किया जायेगा। तदानुसार, स्थिर जमा से श्री कबीर के भाई का पुत्र को उत्पन्न ब्याज आय को कबीर के भाई की कुल आय में सम्मिलित किया जायेगा, यह मानकर कि कबीर के भाई की कुल आय उसकी पत्नी की कुल आय से अव्यस्क की आय को सम्मिलित करने से पूर्व अधिक है। श्री कबीर का भाई धारा 10(32) के अन्तर्गत ₹ 1500 की विमुक्ति का दावा कर सकता है।

श्री मती कबीर के हाथों में उत्पन्न ऋणपत्र पर ब्याज धारा 64(1)(iv) के अनुसार श्री कबीर के हाथों में करयोग्य होगी।

क्योंकि दोनों कबीर तथा उसका भाई कराधान का अपने भार को कम करने के इरादा से क्रम ाः अपनी पत्नी तथा अव्यस्क पुत्र को आय का अप्रत्यक्ष रूप से अंतरणकर्ता है।

श्री कबीर के हाथों में, केवल ₹ 9 लाख का ऋणपत्र पर पत्नी द्वारा प्राप्त ब्याज सम्मिलित होगा तथा नाकि ₹ 10 लाख का ऋणपत्र समस्त ब्याज आय क्योंकि क्रास अंतरण केवल ₹ 9 लाख की हद तक है।

अतएव, केवल अनुपातिक ब्याज (अर्थात् ऋणपत्र पर ब्याज का 9/10) ₹ 72,900 को श्री कबीर के हाथों में सम्मिलित किया जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 56(2)(vii) के प्रावधान अंतरित धन की रा ि अथवा अंतरित ऋणपत्र के मूल्य पर आकर्षित नहीं होगे क्योंकि दोनों मामलों में अंतरण एक संबंधी से है।

9. djfu/kkj.k o"k 2017&18 d fy, Jh fojkV dh dy vk; dh x.kuk

fooj.k	₹	₹
oru		
वेतन से आय	2,50,000	
?kVk धारा 71(1) के अनुसार वेतन आय के विरूद्ध गृह सम्पत्ति की हानि का सेट ऑफ	1,50,000	1,00,000
0;kikj vFkok i'k dk ykHk rFkk vtu		
ट्रेडिंग व्यापार से आय	45,000	
?kVk करनिर्धारण वर्ष 2013–14 का ट्रेडिंग व्यापार से आगे लायी गयी हानि को धारा 72(1) के अनुसार ट्रेडिंग व्यापार की वर्तमान वर्ष की आय के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।	5,000	40,000
क्योंकि 8 वर्ष की समय सीमा जैसा धारा 72(3) के अन्तर्गत निर्दिश्ट किया है जिसके अंदर सेट ऑफ की अनुमति है समाप्त नहीं हुई है।		
सट्टा व्यापार X से आय	5,000	
?kVk: सट्टा व्यापार से हानि को धारा 73(1) के अनुसार सेट आफफ किया	25,000	
[सट्टा व्यापार Y से हानि को धारा 73(2) के अनुसार करनिर्धारण वर्ष 2018–19 तक आगे ले जाया जायेगा।]	20,000	
धारा 35AD के अन्तर्गत कवर निर्दिश्ट व्यापार से हानि को धारा 73A के अनुसार निर्दिश्ट व्यापार से आय के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।	20,000	
ithxr ykHk		
भाहरी जमीन की बिक्री दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	2,00,000	
घटा: अं ों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजीगत हानि (STT का भुगतान नहीं) को धारा 74(1) के अनुसार सेट ऑफ किया	75,000	1,25,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

सूचीबद्ध अं ों की बिक्री पर ₹ 82,000 के जिस पर STT का भुगतान किया है की बिक्री पर ₹ 82,000 की दीर्घकालीन पूँजीगत हानि को भाहरी जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के विरूद्ध से ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि विमुक्त स्रोत से हानि को करयोग्य स्रोत से लाभ के विरूद्ध सेट आफफ नहीं किया जा सकता।		
dqy vk;		**2,65,000**

djfu/kkj.k o"kZ 2017&18 dk vkxs ys tkus ds fy, ik= gkfu

fooj.k	₹
lVVk 0;kikj Ls gkfu सट्टा व्यापार से हानि को केवल किसी अन्य सट्टा व्यापार के लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है 73(2) के अनुसार सेट ऑफ नहीं व्यापार हानि को उस वर्ष की सट्टा व्यापार आय के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जा सकता है। इस प्रकार की हानि को इस मामले में अधिकतम चार करनिर्धारण वर्ष अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 2021–22 तक आगे ले जाया सकता है जैसा धारा 73(4) के अन्तर्गत निर्दिश्ट है।	20,000
fufn"V 0;kikj ls gkfu धारा 35AD के अन्तर्गत निर्दिश्ट व्यापार से हानि को केवल किसी अन्य निर्दिश्ट व्यापार के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि हानि को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता उसे उस वर्ष के लिए निर्दिश्ट व्यापार से आय के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए बाद के वर्ष में आगे ले जाया जा सकता है। धारा 73A(2) के अनुसार इस प्रकार की हानि को किसी निर्दिश्ट व्यापार का लाभ के विरूद्ध सेट ऑफ करने के लिए अनि चा काल के लिए आगे ले जाया सकता है।	20,000
nkSM+ ds ?kksM+ks ds LokfeRo rFkk cuk;s j[kus dh xfrfof/k ls gkfu दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि से हानि (वर्तमान वर्ष अथवा आगे लायी गयी) को दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि के विरूद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। यदि इसे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, इसे उस वर्ष में स्वामित्व तथा बनाये रखने की गतिविधि को आय के विरूद्ध सेट ऑफ के लिए आगे वर्ष के लिए आगे ले जाया सकता है। इसे इस मामले में अधिकतम चार करनिर्धारण वर्ष, करनिर्धारण वर्ष 2020–21 तक आगे ले जाया जा सकता है जैसा धारा 74A(3) के अन्तर्गत निर्दिश्ट है।	2,000

10. djfu/kkj.k o"kZ 2017&18 dh Jh f'kok dh dqy vk; dh x.kuk

© The Institute of Chartered Accountants of India

fooj.k	₹	₹
ldy dqy vk;		**7,75,000**
?kVk;s /kkjk **80C** ds vUrxZr dVkSrh		
व्यस्क पुत्री का बीमा के लिए भुगतान जीवन बीमा प्रीमियम (बीमित मूल्य ₹ 1,80,000 का अधिकतम 10% क्योंकि पॉलिसी को 31.03.2012 के पश्चात् लिया।		
/kkjk **80CCC** ds vUrxZr dVkSrh		
जीवन बीमा प्रीमियम पे ना फंड	60,000	
/kkjk **80D** ds vUrxZr dVkSrh		
स्वयं तथा जीवन साथी के संबंध में चिकित्सा बीमा प्रीमियम (क्योंकि श्री ि वा वरिश्ठ नागरिक है, वह ₹ 30,000 की अधिकतम के तहत वास्तविक प्रीमियम भुगतान की कटौती के लिए पात्र है।	26,000	
/kkjk **80G** ds vUrxZr dVkSrh ¼uhps ofdZx ukV dks nsf[kS½	91,050	1,95,050
dqy vk;		**5,79,950**

ofdZx ukV:

/kkjk **80G** ds vUrxZr dVkSrh dh x.kuk

	nku dk fooj.k	nku jkf'k (₹)	dVkSrh dk %	/kkjk **80G** ds vUrxZr dVkSrh (₹)
(i)	राष्ट्रीय बाल निधि	25,000	100%	25,000
(ii)	जवाहर लाल नेहरू स्मारक फंड	25,000	50%	12,500
(iii)	परिवार नियोजन का संवर्द्धन के लिए अनुमोदित संस्थान	40,000	अहर्ता सीमा के तहत 100%	40,000
(iv)	सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थान	1,50,000	अहर्ता सीमा के तहत 50%	13,550
				91,050

ukV – समायोजित कुल आय = सकल कुल आय – धारा 80C से 80U के अन्तर्गत कटौती की रा ि, धारा 80G को छोड़कर अर्थात् ₹ 6,71,000 (₹ 7,75,000 – ₹ 18,000 – ₹ 60,000 – ₹ 26,000)।

इस मामले में ₹ 67,100 जो समायोजित कुल आय का 10% है अहर्ता सीमा है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

पहले, अहर्ता सीमा के तहत 100% अहर्ता वाली परिवार नियोजन के लिए अनुमोदित संस्थान को ₹ 40,000 का दान को इस रा ि के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। इसके प चात् अहर्ता सीमा के तहत 50% कटौती के लिए अहर्ता सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को दान को समायोजित किया जाता है। अतएव सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को ₹ 1,50,000 का दान ₹ 27,100 तक सीमित है (₹ 67,100 - ₹ 40,000), जिसके 50% की आज्ञा धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के रूप में आज्ञा होगी। इसलिए, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को दान के संबंध में धारा 80G के अन्तर्गत कटौती ₹ 13,550 होगी जो ₹ 27,100 का 50% है।

11. djfu/kkj.k o"kZ 2017&18 dk fy, Jh jktho dh dqy vk; dh x.kuk

fooj.k	₹	₹
0;kikj vFkok i:'k dk ykHk rFkk vtZu		
Fkkd 0;kikj ls vk;		
पुस्तकों के अनुसार शुद्ध लाभ		5,60,000
जोड़ें: पुस्तकों के अनुसार ह्रास	34,000	
धारा 43B के अन्तर्गत द्वितीय अर्द्धवर्ष के लिए भुगतान पालिका कर की अस्वीकृति क्योंकि उसका भुगतान विवरणी की फाइलिंग की देय तिथि के प चात् किया(₹ 7000/2)		
नकद में भुगतान वेतन के संबंध में धारा 40A(3) के अन्तर्गत अस्वीकृति क्योंकि यह ₹ 20,000 से अधिक है।	21,000	
व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार व्यय 20%	8,000	66,500
		6,26,500
घटायें: स्वीकार्य ह्रास (नोट 1)		1,10,400
		5,16,100
फर्म की आय		
साझेदारी फर्म से पूँजी पर ब्याज (नोट 2)		1,20,000
		6,36,100
vU; lzksr ls vk;		
बैंक स्थिर जमा पर ब्याज (सकल)	15,000	
आयकर वापसी पर ब्याज	2,300	17,300
ldy dqy vk;		**6,53,400**
घटायें: अध्याय VIA के अन्तर्गत कटौती (नोट 3)		1,30,000
dqy vk;		**5,23,400**

ukV:

(1) vk;dj fu;e] 1962 dk vUrxZr Lohdk;Z gkl

© The Institute of Chartered Accountants of India

	vkjfHkd vifyf[kr	nj		gkl	vfre vifyf[kr
ब्लाक 1 कम्प्यूटर्स	1,20,000	60%		72,000	48,000
ब्लाक 2 मोटर कार	3,20,000	15%	48,000		
घटाः 20% व्यक्तिगत उपयोग के लिए अस्वीकृति			9,600	38,400	2,81,600
				1,10,400	

(2) जिस हद तक ब्याज फर्म के हाथों में कटौती के रूप में स्वीकृत है, यह साझेदार के हाथों में व्यापार आय के रूप में सम्मिलित होगा। फर्म के हाथों में कटौती के रूप में स्वीकार्य अधिकतम ब्याज 12% प्रति वर्ष है। यह माना गया है कि साझेदारी प्रलेख उसके लिए प्रदान करता है तथा अतएव फर्म के हाथों में इस हद तक स्वीकार्य है। इसलिए ₹ 1,20,000 की रा ि की 12% प्रतिवर्ष का ब्याज को श्री राजीव की आय के रूप में माना जायेगा।

(3) v/;k; VIA d vUrxr dVkSrh

fooj.k	₹	₹
/kkjk 80C d vUrxr		
आत्म निर्भर पुत्र के लिए जीवन बीमा प्रीमियम	60,000	
पत्नी के नाम में भुगतान सार्वजनिक भविश्य निधि	70,000	
	1,30,000	
धारा 80C तथा 80CCE के अन्तर्गत अधिकतम कटौती ₹ 1,50,000.00 है, ₹ 1,30,000 की समस्त रा ि कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा		
dqy dVkSrh		**1,30,000**

12. (a) धारा 194J के अनुसार कर की कटौती के लिए दायित्व केवल उन मामलों में उत्पन्न होता है जहां पर व्यक्तिगत रूप से तकनीकी सेवा तथा रॉयल्टी के लिए भुल्क वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 30,000 से अधिक है। दिये गये मामले में, तकनीकी सेवा के लिए भुल्क का व्यक्तिगत भुगतान अर्थात् ₹ 22,000 तथा रॉयल्टी ₹ 25,000, ₹ 30,000 प्रत्येक से कम है, स्रोत पर कर कटौती के लिए कोई दायित्व नहीं है यह माना गया है कि तकनीकी सेवा तथा रॉयल्टी के लिए वर्ष के दौरान राम को कोई अन्य भुगतान नहीं किया।

(b) धारा 194C के अनुसार, 'कार्य' की परिभाशा में ग्राहक के अतिरिक्त एक व्यक्ति से क्रय सामग्री के मामला में ग्राहक द्वारा स्पे ीफिके ान के अनुसार उत्पाद को निर्माण अथवा आपूर्ति सम्मिलित नहीं है।

इसलिए, श्री X को ₹ 2,00,000 का भुगतान के संबंध में स्रोत पर कटौती के लिए कोई दायित्व नहीं है क्योंकि ठेका 'बिक्री' के लिए ठेका है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) धारा 194-I के अनुसार प्लांट तथा म ीनरी के लिए किराया का भुगतान पर 2% की दर से कर की कटौती करनी होगी यदि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1,80,000 से अधिक है। क्योंकि साझेदारी फर्म के द्वारा भुगतान ₹ 1,50,000 का किराया ₹ 1,80,000 से अधिक नहीं है, पर कटौतीयोग्य नहीं है।

13. vk; dh fooj.kh dks fdlds }kjk lR;kfir fd;k tk;xk

	0;fDr	vk; dh fooj.kh dk lR;kiu fd;k tk;xk
(i)	स्थानीय निकाय	प्रमुख अधिकारी
(ii)	बिना प्रबन्ध साझेदार वाली फर्म	फर्म का कोई साझेदार जो अव्यस्क नहीं
(iii)	अनिवासी कम्पनी	एक व्यक्ति जो इस प्रकार की कम्पनी से वैद्य पावर ऑफ अटार्नी रखने वाला व्यक्ति
(iv)	राजनैतिक दल	इस प्रकार के दल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी

******

© The Institute of Chartered Accountants of India